नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार से प्रसारित

सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2)
Press/2023

वर्ष 03, अंक 358, नई दिल्ली, गुरुवार 26 फरवरी 2026, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जिस इंसान के पास आशा होती है, वह कभी पराजित नहीं होता है!

02 लो कार्ब डाइट के रिस्क

06 साहित्य और कृत्रिम बुद्धिमत्ता: एक संतुलित भविष्य की खोज में

08 झारखंड में गुंडों की समानांतर सरकार: आदित्य साहू ,भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

दिल्ली में दिल्ली के वाहनों से प्रदूषण या वाहनों के कारण प्रदूषण

दिल्ली प्रदूषण का पहला ठीकरा वाहनों पर:- दिल्ली के वाहनों से या दिल्ली की सड़को पर चलने वाले वाहनों से

संजय कुमार बाठला

दिल्ली सरकार,
दिल्ली परिवहन विभाग
वायु गुणवत्ता आयोग
एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया

जब जब दिल्ली में वायु प्रदूषित होती हैं तो उसका पहला ठीकरा दिल्ली के वाहनों पर फोड़ देते हैं और उन्हें ही दिल्ली के प्रदूषण का दोषी ठहराते हैं, क्या ऊपरलिखित सभी सम्मानित विभाग संस्थाएं और विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसियां यह बता सकते है की **प्रदूषण दिल्ली की सड़को पर चलने वाले वाहनों से है या दिल्ली में पंजीकृत वाहनों से ?**

आपकी जानकारी हेतु हम बताना चाहते हैं की दिल्ली की सड़को पर तीन श्रेणियों के वाहन चलते हैं

1. दिल्ली में पंजीकृत निजी वाहन
2. दिल्ली में पंजीकृत व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल वाहन
3. दिल्ली से बाहर के पंजीकृत निजी एवं व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल वाहन

अब प्रश्न यह उठता है की इनमें से कौन से श्रेणी के वाहनों द्वारा दिल्ली में वायु प्रदूषित ज्यादा होता हैं अर्थात कौन है वायु प्रदूषक?

क्या कभी इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत, वायु गुणवत्ता आयोग, दिल्ली परिवहन विभाग या दिल्ली सरकार ने जांच करने की आवश्यकता समझी ? नहीं आखिर क्यों ?

दिल्ली

1. दिल्ली में पंजीकृत निजी वाहन 90 प्रतिशत पंजीकृत निजी वाहन अपने पूरे समय काल (डीजल 10 साल और पेट्रोल 15 साल) में निर्माता द्वारा दी गई इंजन वारंटी के किलोमीटर भी नहीं चले होते। ऐसे में सवाल उठता है फिर उस वाहन का इंजिन कैसे वायु को प्रदूषित कर सकता है, अर्थात कैसे वायु प्रदूषक?

2. दिल्ली में पंजीकृत व्यावसायिक वाहन व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल पंजीकृत वाहन दिल्ली परिवहन विभाग की सख्त वाहन जांच केंद्र में वाहन जांच करवाकर वाहन जांच प्रमाण पत्र हासिल करते हैं फिर किस आधार पर स्वयं परिवहन विभाग उनसे वायु प्रदूषित की बात करता है ?

3. बाहरी राज्यों में पंजीकृत निजी एवं व्यावसायिक वाहन जो दिल्ली की सड़को पर दिल्ली सरकार, दिल्ली परिवहन विभाग और वाहनों पर मोटर वाहन नियम अधिनियम के अनुसार कार्यवाही करने के लिए अनुबंधित प्रवर्तन शाखाएं (दिल्ली परिवहन विभाग और दिल्ली यातायात पुलिस) की दया दृष्टि से दिल्ली के व्यवसायिक गतिविधियों के लिए पंजीकृत वाहनों की

गिनती से कई गुना अधिक की तादाद में चलते रहते हैं, (उस समय भी जब दिल्ली के व्यवसायिक वाहनों को चलने पर प्रतिबंध लगा होता है) जिनकी वाहन जांच दिल्ली वाहन जांच शाखा जैसी सख्त है या किस आधार पर जारी है कोई नहीं जानता।

*क्या यह वाहन माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत, वायु गुणवत्ता आयोग, दिल्ली सरकार और दिल्ली परिवहन विभाग की नजरों में दिल्ली की वायु को प्रदूषित करने में हिस्सेदार / जिम्मेदार नहीं ?

इन बाहरी राज्यों के पंजीकृत वाहनों को सभी नियमों, आदेशों, दिशा निर्देशों से छूट और दिल्ली के पंजीकृत वाहनों पर सभी नियम, कानून, आदेश दिशा निर्देश लागू आखिर किस आधार पर क्या है कोई जवाब ?

दिल्ली में मोटर वाहन नियम के तहत आल इंडिया परमिट वाहन दिल्ली में दिल्ली से दिल्ली के लिए सवारी नहीं उठा सकता पर बाहरी राज्यों के पंजीकृत वाहन दिल्ली में ही रहकर दिल्ली से दिल्ली की सवारियां उठाते हर समय हर स्थान पर नजर आ जाते हैं, कैसा नियम है यह ?

दिल्ली के सभी प्रमुख दार्शनिक, धार्मिक एवं प्रमुख स्थलों पर दिल्ली के पंजीकृत वाहन कम और बाहरी राज्यों के पंजीकृत वाहन जनता को लेकर आते और खड़े अधिक नजर आते हैं पर इन विभागों, प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों और दिल्ली की आबो हवा को शुद्ध रखने वाली एजेंसियों को यह नजर नहीं आते, क्यों ?

आप सभी की जानकारी हेतु बता दें दिल्ली की जनता को वाहनों द्वारा प्रदूषण के नाम से डराने और उनके वाहनों को जब्त कर अपने प्रिय वाहन स्क्रैप डीलरो को सौंपने वाले विभागों की नियत वायु गुणवत्ता सुधारने की नही अपितु नए वाहनों को सड़को पर लाने जिससे सरकारी खजाने में बढ़ोतरी हो तक सीमित है।

इसका बड़ा सबूत है की दिल्ली परिवहन विभाग ने दिल्ली में व्यावसायिक गतिविधियों में सबसे अधिक जनता की जरूरत वाले छोटे वाहनों तीन पहिया 6 सवारी, तीन पहिया तीन सवारी आदि का पंजीकरण ही अपनी इच्छा से रोका हुआ है।

वायु गुणवत्ता सुधारने की इच्छा होती तो इलेक्ट्रिक वाहनों जिन्हें स्वयं दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा दिल्ली में वाहन बेचने के लिए स्टेट अप्रूवल और ट्रेड सर्टिफिकेट जारी किए हुए हैं का पंजीकरण नहीं रोकते।

निष्कर्ष*:- दिल्ली परिवहन विभाग फिर से प्रदूषण मुक्त दिल्ली के नाम से आपके समय सीमा पूरे कर चुके वाहनों को जो वायु प्रदूषण का हिस्सा है या नहीं पर अपने कब्जे में लेकर अपने प्रिय वाहन स्क्रैप डीलरो को सौंपने का फैसला कर चुका है।

मांग

1. यह सभी जवाब दे बाहरी राज्यों में पंजीकृत वाहनों को छूट का आधार क्या और दिल्ली के पंजीकृत वाहन शिकार क्यों ?
2. जनहित में तत्काल श्रेणीवार जांच शुरू हो
3. दिल्ली में रोके हुए इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण तत्काल खोला जाए
4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत मासिक निगरानी करे।

अन्यथा प्रदूषण मुक्त दिल्ली का नाम नहीं राजस्व में इजाफा के नाम से लागू की जाए

बच्चों पर ज्यादा दबाव और रोक-टोक के भयंकर परिणाम

राजेश कुमार पासी

वर्तमान हालात बच्चों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हैं. हमारे लिए इसे समझना बेहद मुश्किल है। आज से 30-40 साल पहले बच्चे का अच्छे नंबर लेकर पास होना उसके उज्ज्वल भविष्य की गारंटी माना जाता था । अब ऐसा नहीं रहा है. जब शत-प्रतिशत अंक आने लगे हैं तो 90 प्रतिशत अंक लाने वाले छात्र भी फेल मान लिए जाते हैं। देखा जाए तो जरूरी नहीं है कि शत-प्रतिशत अंक लाने वाला छात्र 80-90 प्रतिशत अंक वाले छात्र से बेहतर हो। किसी भी छात्र के अंक उसकी मेहनत या मेधा के प्रतीक नहीं होते, उसके स्वभाव के प्रतीक भी हो सकते हैं। आजकल बच्चों पर मां-बाप का ज्यादा से ज्यादा अंक लाने का दबाव होता है। स्कूली शिक्षा खत्म होने के बाद उन्हें इंजीनियर और डॉक्टर बनाने का दबाव भी मां-बाप का होता है। आजकल मां-बाप बच्चों से पूछने लगे हैं कि वो क्या करना चाहता है. फिर उसके अनुसार ही उसे आगे बढ़ने का मौका देते हैं।

सच यह है कि ज्यादातर अभिभावक बच्चों के भविष्य का फैसला खुद करना चाहते हैं। उनकी शिक्षा, करियर और विवाह तक सारे फैसले खुद लेना चाहते हैं और अपने फैसलों को बच्चों पर थोपना अपना अधिकार समझते हैं। उनका कहना होता है कि हम मां-बाप हैं. बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं. हम चाहते हैं कि बच्चे अच्छा जीवन जियें, इसलिए उनका मार्गदर्शन करते हैं। बच्चों का मार्गदर्शन करना हर माता-पिता का अधिकार और कर्तव्य है लेकिन इसकी एक सीमा है। आजकल बच्चे अच्छी शिक्षा के बावजूद मनपसंद रोजगार हासिल नहीं कर पा रहे हैं। जब उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलती तो वो विवाह से भागने लगते हैं। बुरी संगत में पड़कर व्यसनों का शिकार बन जाते हैं। ऐसे हालातों में उनके परिजनों के लिए उनको समझना मुश्किल हो जाता है। इन बच्चों का धीरे-धीरे व्यवहार बदलने लगता है। हम बच्चों को यह दोष देने लगते हैं कि ये बदल गया है लेकिन जानने की कोशिश नहीं करते कि क्यों ऐसा हो रहा है। बच्चों के बदलते व्यवहार को समझे बिना, उनके ऊपर तरह-तरह से दबाव बनाया जाने लगता है। इस खींचतानी का कई बार बड़ा बुरा परिणाम निकलता है। कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिनमें पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है।

लखनऊ में रिश्तों को शर्मसार करने की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक 21 वर्षीय बेटे ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। विडम्बना यह है कि ये हत्या उसने अचानक आवेश में आकर नहीं की है बल्कि सोच-समझकर इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया है । उसने इसके लिए पूरी योजना बनाई, फिर हत्या की और उसके बाद उसने पिता के शव के टुकड़े-टुकड़े करके जंगल में फेंक दिये। इसके अलावा उसने पिता के शव का एक हिस्सा घर में नीले ड्रम में छुपा दिया। वो ये हत्या करने के बाद सामान्य बना रहा और खुद थाने जाकर पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस जांच में चौंकाने वाला सच सामने आया है. आरोपी के पिता मानवेन्द्र सिंह एक पैथोलॉजी लैब के मालिक थे. इसके अलावा भी उनके दूसरे व्यवसाय थे। वो अपने बेटे और बेटी के साथ रहते थे, उनकी पत्नी का नौ साल पहले निधन हो चुका था। पिता चाहते थे कि बेटा नीट क्लियर करके डॉक्टर बन जाये लेकिन बेटा डॉक्टर नहीं बनना चाहता था। उसने कई बार पिता को मना किया था, लेकिन पिता उस पर डॉक्टर बनने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे। उसने पिता के दबाव से परेशान होकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया।

एक दूसरी ऐसी ही शर्मनाक घटना मुज्जफरनगर में सामने आई है। इसमें दो बहनों ने अपने पिता की रोक-टोक से परेशान होकर उसकी नृशंस हत्या कर दी। उन्होंने परिवार के सदस्यों को नींद की गोलियां देकर सुला दिया और इसके बाद पिता को चाकू से गोदकर मार दिया। बड़ी बहन की उम्र 32 साल है और छोटी बहन 16 साल की है, दोनों बहनों ने पूरी योजना बनाकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। ये हत्या भी अचानक आवेश में आकर की गई हत्या नहीं है बल्कि योजनाबद्ध तरीके से की गई हत्या है। दोनों बहनों का पहला गुस्सा तो इस बात को लेकर था कि उनके साथ बेटी होने के कारण भेदभाव किया जाता है। बेटियों के साथ भेदभाव हमारे समाज के लिए बहुत ही सामान्य बात है लेकिन दोनों बहनें इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा पिता बड़ी बेटी के अविवाहित होने पर ताना मारते थे। उनको कुँवारी बेटी का घर बैठना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये पता नहीं है कि बेटी का विवाह क्यों नहीं हो रहा था लेकिन इसके लिए वो अकेली दोषी नहीं होगी। हो सकता है कि कुछ परिस्थितियों के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा हो। एक तो विवाह नहीं हो रहा था, उस पर पिता के तानों ने उनको गुस्से से भर दिया और उसने अपने पिता का ही कत्ल कर दिया। इसके अलावा कितनी ही घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें बच्चे अपने ही परिजनों की हत्या कर रहे हैं। बच्चे सिर्फ दूसरों की हत्या ही नहीं कर रहे हैं बल्कि आत्महत्या भी कर रहे हैं।

बेटे और बेटियों ने अपने पिता को इतनी क्रूरता से क्यों और कैसे मारा, ये एक अलग मुद्दा है। मेरा मुद्दा यह है कि ऐसे हालात क्यों और कैसे पैदा हो गए कि वो अपने ही पिता के हत्यारे बन गए। अगर ये बच्चे आत्महत्या कर लेते तो क्या घटना इतनी ही गंभीर नहीं होती। बच्चों ने हत्या की या आत्महत्या, दोनों ही घटनाएं चिंता पैदा करने वाली हैं। सवाल यह है कि हम अपने बच्चों के लिए सारे फैसले लेना इतना सामान्य क्यों समझते हैं। उनको समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बनेगा, ये हम कैसे तय कर सकते हैं। बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है तो क्या हम उसे ताने देना शुरू कर दे। उनके जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित करने की कोशिश हम क्यों करते हैं। इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि हर मां-बाप अपने बच्चे का भला चाहते हैं लेकिन सब कुछ वो तय नहीं कर सकते।

बच्चों की समझ और विचार को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो कितने भी छोटे या बड़े क्यों न हों। जब मेरा बेटा पांचवी कक्षा में पढ़ता था तो मैंने उसका स्कूल बदलवा दिया। वास्तव में दूसरा स्कूल कई मामलों से पुराने स्कूल से बेहतर था, मेरी नजर में मेरा फैसला बहुत सही था जो उसके बेहतर भविष्य के लिए था। मेरा बेटा एक माह तक नए स्कूल में गया और धीरे-धीरे उसका स्वभाव बिल्कुल बदल गया। उसने खेलना कम कर दिया, कम बोलने लगा और चुप-चुप रहने लगा। मैं जब उसे स्कूल के गेट पर छोड़कर आता तो वो मेरी आँखों से ओझल होने से पहले मुझे मुड़-मुड़ कर देखता था। उसके चेहरे पर एक स्थायी उदासी घर कर गयी थी। मैं और मेरी पत्नी उसके बदलते स्वभाव से परेशान हो गए। एक दिन हमने प्यार से बैठाकर शांति से पूछा कि बेटा नया स्कूल कैसा है। उसने बताया कि उसका स्कूल में दिल नहीं लगता. उसे स्कूल पसंद नहीं है, कोई उससे दोस्ती नहीं कर रहा। हमें अहसास हो गया कि सात साल तक पुराने स्कूल में रहने का आदी हो गया है, इसलिए उसका दिल नहीं लग रहा है। तब हमने उसे वापस पुराने स्कूल भेजने का फैसला किया जबकि इसका मुझे बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। हो सकता है कि कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया हो, लेकिन बच्चे की उदासी और बदलते व्यवहार के कारण हमने उसे पुराने स्कूल में भेज दिया । जब मैं उसके पुराने स्कूल में दाखिल करके आया तो उसकी पूरी क्लास में उसके वापस आने की खुशी मनाई गई। कुछ दिन में ही मुझे लगा कि मेरा बेटा कहीं खो गया था, जो अब वापस मिल गया है। आज उसी स्कूल से पढ़कर निकला मेरा बेटा एक सरकारी बीमा कंपनी में क्लास वन अधिकारी के तौर पर कार्यरत है ।

मैं हमेशा इस पक्ष में रहा हूँ कि बच्चों पर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए. इस चक्कर में कई जानकारों से नाराजगी मोल ले चुका हूं। मेरा मानना रहा है कि बच्चों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनके साथ संवाद बना रहना चाहिए। बीटेक करने के बाद मेरे बेटे को एक बड़ी कंपनी में एक अच्छा पैकेज मिला लेकिन उसने कहा कि मुझे यह नौकरी नहीं करनी । उसने मुझसे पूछा तो मैंने उसे सिर्फ इतना कहा कि अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो इतना अच्छा पैकेज दोबारा नहीं मिलेगा. बहुत नीचे से शुरू करना होगा. तुम्हारी मर्जी है कि ये नौकरी करनी है या नहीं। हम वास्तव में सोचते हैं कि हमसे ज्यादा बच्चों के लिए बेहतर कोई नहीं सोच सकता। सच यह है कि बच्चे ज्यादा जानते हैं कि उनके लिए क्या बेहतर है। आप उनका एक हद तक मार्गदर्शन कर सकते हैं । एक हद के बाद उन्हें लगता है कि उनको नियंत्रित किया जा रहा है। हम कई बार बच्चों को अपने सपने पूरा करने का साधन मान लेते हैं, हम जो नहीं कर पाए, चाहते हैं कि वो करे।

हर बच्चे की एक क्षमता और योग्यता है, उसे उसके अनुसार काम करने दे। जबरदस्ती किसी को सफलता नहीं दिलाई जा सकती, जब तक वो खुद न चाहे। बच्चों को उनका काम करने में मदद करें, वो जो भी करना चाहते हैं, उन्हें करने का मौका दे। आज जब गलाकाट प्रतियोगिता चल रही है, तब हर बच्चे से बड़ी सफलता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आपके बस में जितना है, उनका साथ दे, लेकिन जब वो अकेले चलना चाहे तो चलने का मौका दे। समाज की बातों में आकर अपने बच्चों पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। कभी शिक्षा के लिए, कभी नौकरी के लिए, कभी विवाह के लिए और कभी बच्चों के लिए पूछकर समाज के लोग परेशान करते हैं, लेकिन आपको अपने हालातों के अनुसार चलना चाहिए। किसी को दिखाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ मदद कर सकते हैं तो ठीक है, बेमतलब बच्चों की शिक्षा, नौकरी और विवाह के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। ताने देना तो बहुत ही गलत है, इसका अंजाम हमेशा बुरा निकलता है।

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत

https://tolwa.com/about.html I
tolwaindia@gmail.com, tolwadelhi@gmail.com

पिंकी कुंडू

आज का साइबर सुरक्षा विचार: ऑपरेशन ऑक्टोपस: हैदराबाद सिटी पुलिस ने राष्ट्रीय स्तर पर साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट का पर्दाफाश किया

दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन साइ-हॉक की तर्ज पर, हैदराबाद सिटी पुलिस ने "ऑपरेशन ऑक्टोपस" के तहत एक विशाल साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया, जो 16 राज्यों में फैला हुआ था। इस कार्रवाई ने वित्तीय साइबर अपराध के खिलाफ बहु-राज्यीय सहयोग की अहमियत को और मजबूत किया है।

ऑपरेशन का विवरण

- नेतृत्व: पुलिस आयुक्त वी.सी. सज्जनार और डीसीपी (साइबर क्राइम्स) वी. अरविंद बाबू, आईपीएस
- अवधि: 10 दिन
- टीमें तैनात: 32 विशेष टीमें
- तरीका: कई राज्यों में एक साथ छापेमारी
- परिणाम: 104 व्यक्तियों की गिरफ्तारी और भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री की बरामदगी

मुख्य बिंदु

- गिरफ्तार किए गए:
  - o 86 म्यूल अकाउंट धारक
  - o 17 अकाउंट सप्लायर
  - o 1 बैंक अधिकारी
- जुड़े मामले: पूरे भारत में 1,055 साइबर धोखाधड़ी मामले
- धोखाधड़ी राशि: ₹127 करोड़
- **बरामदगी:**
  - o ₹36 लाख नकद
  - o 200+ मोबाइल फोन
  - o 141 सिम कार्ड
  - o 152 पासबुक
  - o 234 डेबिट/क्रेडिट कार्ड
  - o अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज़ और डिजिटल सबूत

सिंडिकेट की कार्यप्रणाली

- धोखेबाजों ने म्यूल अकाउंट्स का उपयोग कर अपराध की राशि को मनी लॉन्डरिंग किया।
- अकाउंट सप्लायरों ने फर्जी या समझौता किए गए खातों की व्यवस्था की।
- एक बैंक अधिकारी ने धोखाधड़ी लेन-देन को सक्षम बनाया।
- सिंडिकेट ने डिजिटल भुगतान प्रणालियों और सोशल इंजीनियरिंग तकनीकों का दुरुपयोग किया।
- पुलिस ने 151 बैंक खातों की पहचान की, जिनका उपयोग पीड़ितों के पैसे siphon करने में किया गया।

मीडिया कवरेज

- यूएनआई न्यूज़: ऑपरेशन ऑक्टोपस को हाल के वर्षों की सबसे बड़ी साइबर अपराध कार्रवाई बताया, जिसमें 151 फर्जी बैंक खातों का खुलासा हुआ।
- डेक्कन क्रॉनिकल: 104 व्यक्तियों की गिरफ्तारी, जिसमें एक बैंक अधिकारी भी शामिल था। आयुक्त सज्जनार ने कहा कि सिंडिकेट वित्तीय धोखाधड़ी नेटवर्क में गहराई से जड़ें जमा चुका था।
- हिंदुस्तान टाइम्स: गिरफ्तार व्यक्तियों को पूरे भारत में 1,055 साइबर धोखाधड़ी मामलों से जोड़ा गया, जिनमें ₹127 करोड़ की राशि शामिल थी।
- द हंस इंडिया: 204 मोबाइल फोन, 141 सिम कार्ड, 152 पासबुक और 234 कार्ड की बरामदगी का विवरण दिया और वरिष्ठ अधिकारियों की सीधी निगरानी पर जोर दिया।

प्रभाव

- साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क के विघटन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम।
- निर्दोष नागरिकों से आगे धन siphon होने से रोकथाम।
- संगठित साइबर अपराध के खिलाफ संस्थागत मजबूती।

महत्व

यह कार्रवाई दर्शाती है:

- विभिन्न राज्यों में समन्वित पुलिसिंग की प्रभावशीलता से साइबर अपराध को रोका जा सकता है।
- डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने में विशेषीकृत साइबर क्राइम यूनिट्स की अहम भूमिका।
- हैदराबाद सिटी पुलिस की नागरिक सुरक्षा और वित्तीय संरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता।

साइबर सुरक्षा विचार नेतृत्व

म्यूल अकाउंट सिंडिकेट्स पर सख्ती से कार्रवाई करना वित्तीय साइबर अपराध पर रोक लगाने की दिशा में निर्णायक कदम है। जिस तरह दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन साइ-हॉक धोखाधड़ी नेटवर्क पर केंद्रित था, उसी तरह हैदराबाद का ऑपरेशन ऑक्टोपस साइबर धोखाधड़ी पारिस्थितिकी तंत्र के व्यवस्थित विघटन का उदाहरण है।

नागरिकों और संस्थानों के लिए सबक:

- संदिग्ध डिजिटल लेन-देन के प्रति सतर्कता।
- यह समझ कि म्यूल अकाउंट्स धोखाधड़ी को कैसे बढ़ावा देते हैं।
- साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग।

स्वास्थ्य विशेष

स्वास्थ्य आपका कोशिश हमारी

लो-कार्ब डाइट के रिस्क

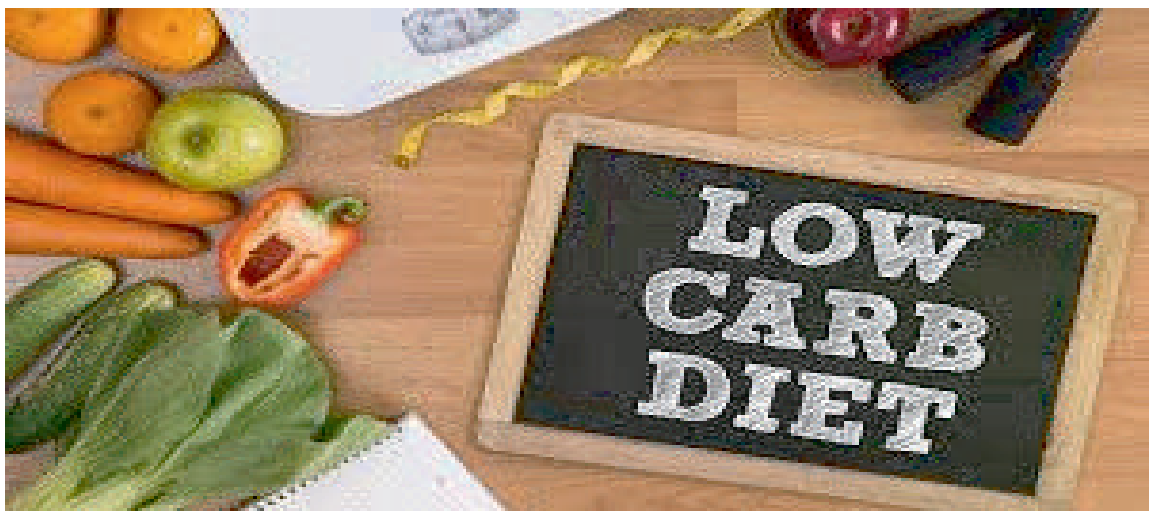

अगर सही तरीके से किया जाए तो लो-कार्ब डाइट दिल की सेहत के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन अगर इसे ठीक से प्लान न किया जाए तो यह रिस्क भी पैदा कर सकती है। यहां कुछ खास बातें बताई गई हैं:

होने वाले रिस्क:

- दिल की बीमारी का खतरा बढ़ना: अगर लो-कार्ब डाइट में एनिमल फैट और प्रोटीन ज़्यादा हैं, और फाइबर और ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स कम हैं, तो इससे दिल की बीमारी का खतरा बढ़ सकता है।

- कुछ लोगों पर बुरा असर: कुछ लोग, जिन्हें रेलीन मास हाइपर-रिस्पॉन्डर्स कहा जाता है, कीटोजेनिक डाइट फॉलो करने पर LDL कोलेस्ट्रॉल में काफी बढ़ोतरी महसूस कर सकते हैं।

- खाने की क्वालिटी का महत्व: डाइट की क्वालिटी पर ध्यान दिए बिना सिर्फ कार्ब्स या फैट कम करने पर ध्यान देने से सेहत को कोई फायदा नहीं हो सकता है [1] [2]।

अच्छी तरह से प्लान की गई लो-कार्ब डाइट के फायदे:

- वज़न कम होना: लो-कार्ब डाइट से कैलोरी इनटेक में नैचुरली कमी आ सकती है और वज़न कम हो सकता है।

- ब्लड प्रेशर में सुधार: कुछ स्टडीज़ से पता चला है कि लो-कार्ब डाइट ब्लड प्रेशर कम करने में मदद कर सकती है। - टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम: लो-कार्ब डाइट टाइप 2 डायबिटीज को मैनेज करने और उसे ठीक करने में भी मदद करती है।

बेहतर ट्राइग्लिसराइड्स और HDL कोलेस्ट्रॉल: लो-कार्ब डाइट ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने और HDL कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने में मदद कर सकती है।

- सूजन कम होना: कीटोजेनिक डाइट सूजन के मार्कर को कम करने में मदद करती है।

हेल्दी लो-कार्ब डाइट का तरीका:

- साबुत, प्लांट-बेस्ड फूड्स पर फोकस करें: साबुत अनाज, फल, सब्जियां, नट्स, फलियां और ऑलिव ऑयल पर जोर दें।

- हाई-क्वालिटी प्रोटीन सोर्स चुनें: अपनी डाइट में प्लांट-बेस्ड प्रोटीन और हेल्दी फैट शामिल करें।

- रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और एनिमल फैट कम करें: मीठे स्नैक्स, रिफाइंड अनाज और बहुत ज्यादा एनिमल फैट से बचें।

हेल्दी कार्ब्स के सबसे अच्छे सोर्स

हेल्दी कार्ब्स में फाइबर, विटामिन और मिनरल भरपूर होते हैं। कुछ सबसे अच्छे सोर्स में शामिल हैं:

1. साबुत अनाज: ब्राउन राइस, क्विनोआ, होल व्हीट ब्रेड और होल ग्रेन पास्ता।
2. फल: सेब, केला, बेरी, और संतरे और अंगूर जैसे खट्टे फल।
3. सब्ज़ियाँ: पालक और केल जैसी हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ, ब्रोकली, और शकरकंद और गाजर जैसी जड़ वाली सब्ज़ियाँ।
4. फलियाँ: बीन्स, दाल और मटर में फाइबर और प्रोटीन ज़्यादा होता है।
5. नट्स और बीज: बादाम, चिया सीड्स और अलसी के बीज हेल्दी कार्ब्स और फाइबर के अच्छे सोर्स हैं।

ये खाने की चीज़ें लगातार एनर्जी देती हैं और पूरी हेल्थ को सपोर्ट करती हैं।

दिल की सेहत के लिए खाने में बदलाव

दिल की सेहत के लिए, खाने में इन बदलावों पर विचार करें:

1. साबुत अनाज, फल, सब्ज़ियाँ, लीन प्रोटीन और हेल्दी फैट जैसे साबुत, बिना प्रोसेस किए हुए खाने पर ध्यान दें।
2. एवोकाडो, नट्स और ऑलिव ऑयल जैसे हेल्दी फैट चुनें।
3. रिफाइंड कार्ब्स और शुगर कम लें।
4. प्लांट-बेस्ड प्रोटीन और फैट शामिल करें।
5. एनिमल प्रोटीन और सैचुरेटेड फैट का सेवन कम करें।

साबुत अनाज, फल, सब्ज़ियों और हेल्दी फैट से भरपूर मेडिटेरेनियन डाइट को हमेशा बेहतर दिल की सेहत से जोड़ा गया है।

नट्स न भिगोने के क्या रिस्क हैं?

नट्स न भिगोने से मिनरल एब्ज़ॉर्प्शन कम हो सकता है क्योंकि फाइटिक एसिड कैल्शियम, मैग्नीशियम और ज़िंक जैसे मिनरल से जुड़ जाता है। हालांकि, इसका असर हर किसी पर बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है। नट्स न भिगोने के कुछ संभावित रिस्क में ये शामिल हैं:

- मिनरल एब्ज़ॉर्प्शन कम होना, खासकर उन लोगों के लिए जिनमें मिनरल की कमी है या जो रेगुलर ज़्यादा मात्रा में फाइटिक एसिड लेते हैं

- न्यूट्रिएंट एब्ज़ॉर्प्शन में रुकावट, खासकर जब ज़्यादा मात्रा में लिया जाए

- IBS जैसी खास सेंसिटिविटी या कंडीशन वाले लोगों में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं हो सकती हैं

नट्स भिगोने से फाइटिक एसिड को तोड़ने में मदद मिल सकती है, जिससे मिनरल ज़्यादा बायोअवेलेबल हो जाते हैं। हालांकि, यह ध्यान देने वाली बात है कि आप अलग-अलग न्यूट्रिएंट सोर्स के साथ बैलेंस्ड डाइट लेकर भी फाइटिक एसिड के असर को कम कर सकते हैं।

नट्स भिगोने से डाइजेशन पर क्या असर पड़ता है?

नट्स भिगोने से डाइजेशन के लिए कई फायदे हो सकते हैं। ये होता है:

1. फाइटिक एसिड में कमी: नट्स भिगोने से कुछ फाइटिक एसिड टूट सकता है, यह एक नेचुरल कंपाउंड है जो जिंक, आयरन और कैल्शियम जैसे मिनरल्स के एब्ज़ॉर्प्शन को रोक सकता है।
2. एंजाइम एक्टिवेशन: भिगोने से नट्स में एंजाइम एक्टिवेट हो सकते हैं, जिससे उनके न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा बायोअवेलेबल हो जाते हैं।
3. आसान डाइजेशन: भिगोने से नट्स में कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टूट सकते हैं, जिससे आपके शरीर के लिए उन्हें पचाना आसान हो जाता है।
4. कम फाइटेट्स: कुछ लोगों के लिए फाइटेट्स पचाना मुश्किल हो सकता है। नट्स भिगोने से उनमें फाइटेट कंटेंट कम करने में मदद मिल सकती है।

कुल मिलाकर, नट्स भिगोने से उनके न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा आसानी से मिल सकते हैं और पचाना आसान हो सकता है, जिससे डाइजेशन की परेशानी कम हो सकती है। हालांकि, यह ध्यान देने वाली बात है कि नट्स भिगोने से सारा फाइटिक एसिड खत्म नहीं हो सकता है, और हर किसी की टॉलरेंस अलग-अलग हो सकती है।

पेचिश क्यों होती है?

पिंकी कुंडू

क्या गांव जाने, होटल में खाना खाने या खराब पानी पीने के बाद आपका पेट खराब हो जाता है? पेट में दर्द, बार-बार शौच जाना (7–8 बार), शौच में खून आना, बदबू आना, यह लक्षण अक्सर अमीबिक पेचिश के होते हैं।

पेचिश किस वजह से होती है?

1. पेचिश अमीबियासिस नाम की एक फैलने वाली बीमारी की वजह से होती है।
2. यह बीमारी एंटअमीबा हिस्टोलिटिका नाम के एक सेल वाले पैरासाइटिक कीड़े की वजह से होती है।
3. लगभग 90% लोगों में शरीर में जाने के बाद कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन बाकी 10% लोगों को गंभीर समस्याएँ हो सकती हैं।

गंभीर नतीजे (अगर समय पर ध्यान न दिया जाए)

1. अमीबा खून के ज़रिए फैल सकता है
2. लिवर, फेफड़े, दिमाग, तिल्ली, स्किन पर असर पड़ सकता है
3. खासकर अगर लिवर में फोड़ा हो, तो यह जानलेवा हो सकता है

भारत में स्थिति भारत में लगभग 15% लोगों में पेचिश पाई जाती है। खराब हालात में अमीबा सिस्ट का रूप ले लेता है। यह सेल्स मरीज़ के मल से निकलते हैं

1. गंदे पानी/खाने के ज़रिए दूसरे इंसान के शरीर में जाते हैं
2. बड़ी आंत में बढ़ते हैं और डायरिया होने लगता है

पेचिश के मुख्य कारण

* निजी हाइजीन की कमी
* गंदा पीने का पानी
* मल डिस्पोज़ल सिस्टम की कमी
* खराब क्वालिटी का रहन-सहन
* बाहर का गंदा खाना

इलाज (सिर्फ़ डॉक्टर की सलाह पर)

1. मेट्रोनिडाज़ोल
2. टिनिडाज़ोल

खुद से दवा न लें, इसे कैसे रोकें?

1. बाहर का खाना खाने से बचें
2. उबला और ठंडा पानी पिएं
3. खाने से पहले साबुन से हाथ धोएं
4. साफ-सफाई की आदत डालें
5. फल और सब्जियां अच्छी तरह धोकर खाएं

अगर आपको बार-बार दिक्कत होती है

* अपनी डाइट और एक्सरसाइज का खास ध्यान रखें
* किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें

प्लास्टिक या रबर की चप्पल भी हानिकारक हो सकती है!!!!!!!

जैसे कुछ दिन पहले मैंने कपड़ों में उपयोग होने वाले रासायनिक तत्वों के दुष्प्रभावों पर लेख लिखा था, उसी प्रकार अब यह समझना भी आवश्यक है कि हमारे पैरों में पहनी जाने वाली चप्पलें, सैंडल और जूते भी अनेक हानिकारक रसायनों से बने होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

आज बाज़ार में उपलब्ध अधिकांश चप्पलें और सैंडल प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, पीवीसी (PVC), फोम और अन्य कृत्रिम पदार्थों से निर्मित होती हैं। इन सामग्रियों को मुलायम, टिकाऊ और आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जाता है। इनमें फ़्थैलेट्स (Phthalates), बिस्फेनॉल (BPA), कृत्रिम रंग, सॉल्वेंट्स और भारी धातुएँ शामिल हो सकती हैं।

जब ये चप्पलें लंबे समय तक त्वचा के संपर्क में रहती हैं, विशेषकर गर्मी और पसीने की स्थिति में, तो इनसे निकलने वाले रसायन त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इससे त्वचा पर एलर्जी, खुजली, दाने, जलन तथा फंगल संक्रमण जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। कुछ रसायन हार्मोन संतुलन को भी प्रभावित कर सकते हैं और दीर्घकाल में कैंसर जैसे गंभीर स्वास्थ्य जोखिम भी पैदा कर सकते हैं।

विशेष रूप से बच्चों के लिए यह अधिक चिंताजनक विषय है, क्योंकि उनकी त्वचा अधिक संवेदनशील होती है। सस्ती और निम्न गुणवत्ता वाली प्लास्टिक चप्पलों में रसायनों की मात्रा अधिक हो सकती है, जिससे जोखिम और बढ़ जाता है।

केवल स्वास्थ्य ही नहीं, पर्यावरण की दृष्टि से भी प्लास्टिक और सिंथेटिक रबर से बनी चप्पलें हानिकारक हैं।

इनके निर्माण और नष्ट होने की प्रक्रिया में जहरीली गैसें और सूक्ष्म प्लास्टिक (Microplastics) पर्यावरण में फैलते हैं, जो मिट्टी, जल और वायु को प्रदूषित करते हैं।

अतः हमें जागरूक उपभोक्ता बनना चाहिए। संभव हो तो प्राकृतिक रबर, कपास, चमड़ा या अन्य पर्यावरण-अनुकूल सामग्रियों से बने उत्पादों का चयन करें। गुणवत्ता और प्रमाणित ब्रांड को प्राथमिकता दें तथा अत्यधिक सस्ते और अज्ञात स्रोतों से खरीदी गई चप्पलों से बचें।

स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना ही सच्ची समझदारी है। क्योंकि हमारे कदम जहाँ भी पड़ते हैं, वहीं से हमारे स्वास्थ्य की दिशा भी तय होती है।

अंगूर और किशमिश पर अत्यधिक रासायनिक उपयोग का प्रभाव

1. अंगूर पर कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग अंगूर उन फलों में से एक है जिन पर कीटों, फफूंद और रोगों से बचाव के लिए किसानों द्वारा अक्सर कई प्रकार के कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है।

* अंगूर की पतली त्वचा और कीटों के प्रति संवेदनशीलता के कारण इनमें अन्य कई फलों और सब्जियों की तुलना में अधिक कीटनाशी अवशेष पाए जा सकते हैं।

* विभिन्न परीक्षण अध्ययनों में अंगूर लगातार उन फलों की सूची में शामिल रहे हैं जिनमें कीटनाशक अवशेष अपेक्षाकृत अधिक पाए जाते हैं।

* इन अवशेषों में फफूंदनाशक, कीटनाशक तथा अन्य कृषि रसायन शामिल हो सकते हैं।

* यद्यपि अधिकांश अवशेष खाद्य नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित कानूनी सुरक्षा सीमाओं के भीतर होते हैं, फिर भी इनके अंश फल की सतह पर और कभी-कभी अंदर तक मौजूद हो सकते हैं। इसलिए उपभोक्ताओं को सजग रहना और आवश्यक सावधानियाँ बरतना चाहिए।

* वर्तमान शोध दर्शाते हैं कि कई बाजारों में जांच किए गए अंगूरों के बड़े प्रतिशत नमूनों में विभिन्न कीटनाशकों के अंश पाए जाते हैं, कभी-कभी एक ही नमूने में अनेक रसायनों का मिश्रण भी मिलता है। यह स्थिति विशेष रूप से आयातित अंगूरों और प्रसंस्कृत उत्पादों जैसे किशमिश में देखी गई है।

* दीर्घकालिक रूप से कुछ कीटनाशकों के संपर्क में रहने को लेकर जन-स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ व्यक्त की गई हैं, विशेषकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं जैसे संवेदनशील समूहों के लिए।

अंतरराष्ट्रीय निगरानी संस्थाएँ और स्वास्थ्य समर्थक संगठन वैश्विक स्तर पर बेहतर निगरानी और रासायनिक उपयोग में कमी की मांग कर रहे हैं।

2. रसायनों की सहायता से किशमिश (सूखे अंगूर) का उत्पादन किशमिश बनाने की प्रक्रिया को तेज करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ उत्पादक केवल धूप में सुखाने के बजाय रासायनिक घोलों का उपयोग करते हैं। एक सामान्य विधि में अंगूरों को विशेष रसायनों के मिश्रण में डुबोया जाता है, जिससे फल की नमी तेजी से बाहर निकलती है और सप्ताहों के बजाय कुछ ही दिनों में किशमिश तैयार हो जाती है।

* कुछ पारंपरिक या व्यावसायिक विधियों में एथिल ओलिएट (Ethyl Oleate) और पोटैशियम कार्बोनेट (Potassium Carbonate) जैसे रसायनों का उपयोग किया जाता है।

* ये पदार्थ अंगूर की त्वचा की सतही परत को प्रभावित कर पानी के तेजी से वाष्पीकरण में सहायक होते हैं, जिससे सुखाने की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है।

* हालाँकि, यदि इन रसायनों का अनुचित या अत्यधिक उपयोग किया जाए और उचित नियंत्रण न रखा जाए, तो अंतिम उत्पाद में इनके अवशेष रह सकते हैं।

3. धुलाई क्यों आवश्यक है चूँकि कीटनाशक खेतों में छिड़के जाते हैं और कभी-कभी प्रसंस्करण के दौरान भी रसायनों का उपयोग होता है, इसलिए अंगूर और किशमिश को खाने से पहले अच्छी तरह धोना सतही अवशेषों को कम करने में सहायक होता है।

* बहते पानी में अच्छी तरह धोना

* बेकिंग सोडा के घोल या हल्के सिरके के घोल में कुछ समय भिगोना

* हाथों से हल्के से रगड़कर सतह के कण हटाना

विशेषज्ञों का मत है कि धुलाई से सतह पर मौजूद अवशेष तो कम हो सकते हैं, लेकिन फल के अंदर तक समा चुके रसायनों को पूरी तरह हटाना संभव नहीं होता।

नवीनतम उपभोक्ता सुरक्षा विकास

हालिया अध्ययन एवं उपभोक्ता रिपोर्ट स्वतंत्र खाद्य परीक्षण (सरकारी एवं गैर-सरकारी) में अंगूर और किशमिश के नमूनों में अनेक कीटनाशक अवशेष पाए गए हैं, कभी-कभी एक नमूने में दर्जनों रसायनों के अंश तक मिले हैं।

प्रयोगशाला अध्ययनों में कुछ कीटनाशकों को हार्मोन असंतुलन (एंडोक्राइन व्यवधान) या दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों से जोड़ा गया है, यद्यपि नियामक संस्थाएँ निर्धारित सीमा के भीतर पाए गए अवशेषों को सामान्यतः सुरक्षित मानती हैं।

नियामक एवं जन-जागरूकता प्रयास

यूरोप सहित विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ता संगठनः

1. अधिक सख्त कीटनाशक नियमों की मांग कर रहे हैं
2. आयातित उत्पादों की व्यापक जाँच की अपील कर रहे हैं
3. गैर-रासायनिक कीट प्रबंधन एवं जैविक खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं

सरकारें और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ धीरे-धीरे ऐसे मानकों को अद्यतन कर रही हैं जो किसानों की फसल सुरक्षा और उपभोक्ताओं व पर्यावरण की सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित कर सकें।

मुख्य निष्कर्ष (सारांश)

1. अंगूर कीटों के प्रति संवेदनशील होने के कारण उन पर अनेक कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है।
2. किशमिश बनाने में कभी-कभी सुखाने की प्रक्रिया तेज करने हेतु रासायनिक घोलों का उपयोग किया जाता है।
3. अच्छी तरह धुलाई करने से सतही कीटनाशक अवशेष कम हो सकते हैं।
4. उपभोक्ता सुरक्षा और रासायनिक जोखिम को कम करने हेतु नियामक उपाय निरंतर विकसित हो रहे हैं।

होलाष्टक कब से शुरू

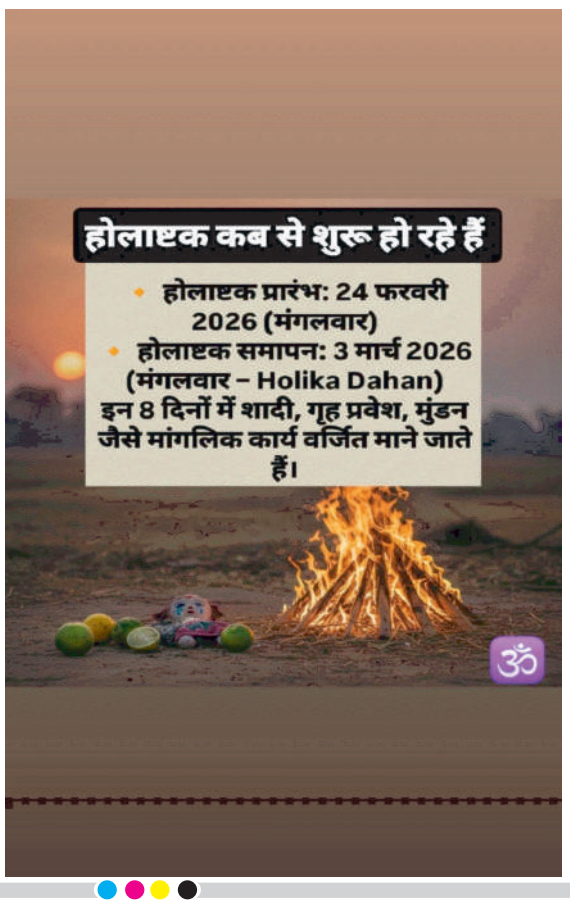

पिंकी कुंडू

होलाष्टक फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होने वाले 8 दिनों की अवधि को कहते हैं, जो हाली से पहले आती है।

1. यह अवधि होलिका दहन से 8 दिन पहले शुरू होती है।
2. इन 8 दिनों में शादी, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य शुभ नहीं माने जाते।
3. मान्यता है कि इन दिनों ग्रहों का प्रभाव थोड़ा उग्र रहता है, इसलिए शुभ कार्य टाल दिए जाते हैं।

धार्मिक मान्यता के अनुसार इन दिनों पूजा-पाठ, मंत्र जाप और भक्ति करना शुभ माना जाता है।

भैरव बाबा को कालयुग का रक्षक कहा गया है।

पिंकी कुंडू

भैरव बाबा की शक्ति "अदृश्य भयों, नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं" को काटने वाली मानी गई है।

1. भैरव = शिव का उग्र रूप भैरव, भगवान शिव का वह रूप है जो दुष्ट शक्तियों का नाश करता है और भक्त की रक्षा करता है।

2. भैरव + शक्ति =

1. सुरक्षा
2. जागरूकता
3. अदृश्य खतरों से रक्षा

तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया है — "शक्ति बिना भैरव अधूरा, भैरव बिना शक्ति निस्तेज।"

3. क्यों शनिवार विशेष है? हिन्दू कलैंडर के अनुसारः मार्गशीर्ष और पौष के शनिवार भैरव उपासना का सबसे ऊर्जावान समय होते हैं। इन दिनों लोगः

1. सरसों का तेल दीप
2. नारियल
3. काले तिल

अर्पित करते हैं।

4. प्रसिद्ध भैरव मंदिरों का महत्वः

१. काशी—कलभैरव मंदिरः "Kashi Guardian" कहा जाता है।

2. उज्जैन—काला भैरवः यहाँ की मदिरा-अर्पण परंपरा विश्व प्रसिद्द है।

3. कोटि भैरव—जम्मूः रक्षण शक्ति के लिए प्रसिद्ध।

इन मंदिरों में शनिवार को भक्तों की भीड़ कई गुना बढ़ जाती है।

"भैरव बाबा = भय, बाधा, नकारात्मकता — सबका अंत, जहाँ भैरव हैं, वहाँ सुरक्षा है।"

-------- "पंच प्राण" --------

पिंकी कुंडू

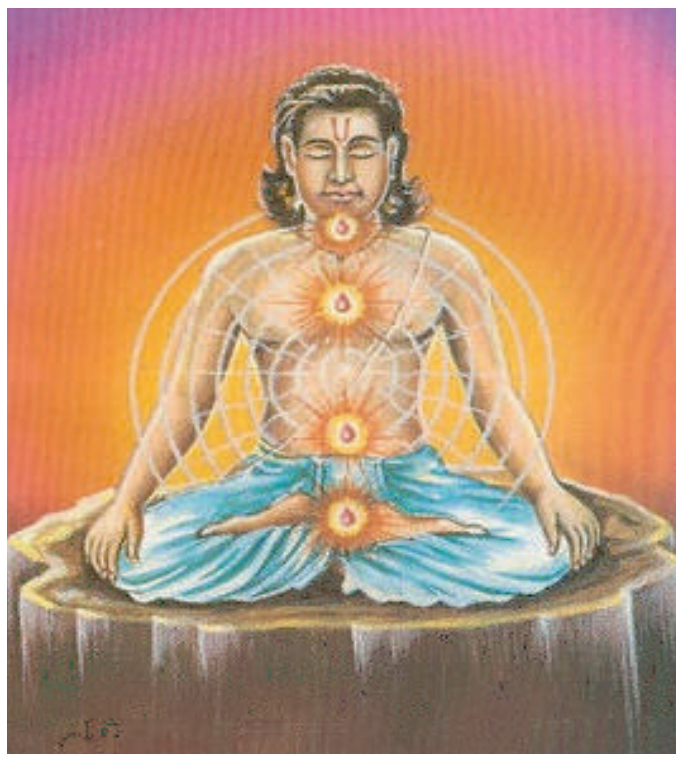

पंच प्राण – शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा प्रणाली का आधार।

पंच प्राण - शरीर के पंच प्राण या पंच वायु।

प्राण' शब्द उस महत्वपूर्ण जीवन शक्ति या ऊर्जा को संदर्भित करता है जो हमारे भीतर मौजूद है। जिसके द्वारा शरीर जीवित है। जो हमारे अंदर प्राण है वह यही वायु होती है ।

सभी प्रकार के अर्थात पांचों प्राणों के अपने अपने कार्य हैं और हमारे शरीर में स्थान निश्चित है। आइए जाने

पंच प्राण

1. प्राण
2. उदान
3. व्यान
4. समान
5. अपान

1. प्राण (Prana Vayu)

* स्थानः हृदय व छाती क्षेत्र
* कार्यः श्वास लेना, हृदय की क्रिया, जीवन ऊर्जा का मुख्य स्रोत

यह अंदर की ओर और ऊपर की दिशा में कार्य करता है।

2. उदान (Udana Vayu)

* स्थानः कंठ व गला क्षेत्र
* कार्यः वाणी, अभिव्यक्ति, स्मरण शक्ति, चेतना का उत्थान।

3. व्यान (Vyana Vayu)

* स्थानः सम्पूर्ण शरीर में
* कार्यः रक्त संचार, स्नायु तंत्र का संचालन, पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह

यह सर्वव्यापी है और पूरे शरीर में कार्य करता है।

4. समान (Samana Vayu)

* स्थानः नाभि क्षेत्र (मणिपुर चक्र)
* कार्यः पाचन, भोजन का पाचन व पोषक तत्वों का वितरण

यह शरीर में संतुलन बनाने का कार्य करता है।

5. अपान (Apana Vayu)

* स्थानः नाभि के नीचे का भाग (मूलाधार क्षेत्र)
* कार्यः मल-मूत्र त्याग, प्रसव, शरीर से विषैले पदार्थों का निष्कासन

यह नीचे की दिशा में कार्य करता है।

क्या आपके ग्रह भी खराब चल रहे हैं? आसान उपायों से खुद ही करें उन्हें ठीक!

पिंकी कुंडू

हमारे शास्त्रों में हर परेशानी का हल है। आप अपनी दिनचर्या में कुछ छोटे - छोटे बदलाव करके अपने ग्रहों को शांत और मजबूत कर सकते हैंः

सूर्य ग्रहः सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव के दर्शन करें।

चंद्रमा ग्रहः रोज 1 मिनट तक 'ओम' (ॐ) का उच्चारण करते हुए ध्यान लगाएं।

गुरु ग्रहः घर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

राहु ग्रहः जैसे ही कोई कुत्ता दिखाई दे, उसे कुछ खाने को दें।

बुध ग्रहः तुलसी माता को जल चढ़ाएं या उनके दर्शन करें।

शुक्र ग्रहः खुद को और अपने घर को एकदम साफ - सुथरा रखें।

शनि ग्रहः किसी भी गरीब या जरूरतमंद मजदूर को पैसे देकर मदद करें।

आज का युग:- प्रीपेड मृत्यु

पिंकी कुंडू

पुणे के एक बड़े श्मशान घाट में दोपहर के 3 बजे थे। 'रोहन' (उम्र 35 वर्ष), जो अमेरिका की एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट था, अभी-अभी फ्लाइट से उतरकर सीधे श्मशान घाट पहुँचा था।

उसके पिता, 'सदाशिवराव' (उम्र 75 वर्ष),

कल रात गुजर गए थे। रोहन के हाथ में महंगा लैपटॉप बैग था और आँखों पर रेबैन का चश्मा। उसे पसीना आ रहा था और वह बार-बार घड़ी देख रहा था।

वहाँ 'मोक्ष इवेंट मैनेजमेंट' (अंतिम संस्कार करने वाली एजेंसी) का कर्मचारी 'सुमित' खड़ा था।

सुमित ने सारी तैयारी कर रखी थी। लकड़ियाँ सजा दी थीं, पंडित बुला लिया था, और सदाशिवराव के पार्थिव शरीर को स्नान कराकर तैयार रखा था।

रोहन आया। उसने पिता के चेहरे की ओर एक नजर डाली। आँखों से एक-दो आँसू निकल आए।

उसने सुमित से पूछाः "मिस्टर सुमित, सब तैयार है ना? मुझे 6 बजे की रिटर्न फ्लाइट पकड़नी है। कल मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है। प्लीज़ जल्दी कराइए।"

सुमित को आश्चर्य हुआ। जिस पिता ने इस बेटे को पाल-पोशकर बड़ा किया, उस पिता की चिता के पास रुकने के लिए इस बेटे के पास तीन घंटे भी नहीं थे।

सुमित ने शांत होकर सिर हिलाया। विधि पूरी हुई। रोहन ने मुखाग्नि दी। धुएँ के गुबार आसमान में उठ गए। रोहन ने सुमित को अलग ले जाकर चेकबुक निकाली। "सुमित, धन्यवाद। आपने अच्छी व्यवस्था की। आपका बिल कितना हुआ? 50 हजार? 1 लाख? राशि बताइए, मैं अभी चेक दे देता हूँ। मैं दोबारा नहीं आ पाऊँगा, अस्थि विसर्जन भी आप ही करवा दीजिए।"

सुमित ने रोहन की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब-सी मुस्कान थी। उसने जेब से एक पुरानी फाइल निकाली और रोहन के हाथ में दी। "साहब, बिल देने की जरूरत नहीं है। आपका बिल 'पेड' है।"

रोहन चौंक गया। "पेड? किसने भरा पैसा? क्या मेरे चाचा ने?"

सुमित बोलाः "नहीं साहब। पाँच साल पहले सदाशिवराव जी (आपके पिता) हमारे ऑफिस आए थे। वे बहुत बीमार थे, ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा था — 'आपका पैकेज क्या है? मेरे बेटे को तकलीफ न हो, सब इंतज़ाम कर देंगे ना?'

हमने उन्हें पैकेज बताया। उन्होंने उसी दिन 50,000 रुपये एडवांस जमा कर दिए थे और यह 'चिट्ठी' मुझे देकर कहा था — 'मेरा बेटा आए तो उसे यह दे देना। और अगर वह न आ सके, तो आप ही मेरा अंतिम संस्कार कर देना।'" सुमित ने वह चिट्ठी रोहन को दी। रोहन ने काँपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें सदाशिवराव के काँपते अक्षरों में लिखा थाः

"प्रिय रोहन, बेटा, मुझे पता है तुम बहुत व्यस्त हो। अमेरिका में तुम्हें साँस लेने की भी फुर्सत नहीं होती। मुझे मालूम है कि

मेरी मृत्यु की खबर सुनकर तुम्हें चिंता होगी। 'छुट्टी मिलेगी या नहीं? टिकट मिलेगा या नहीं? मीटिंग का क्या होगा?'

ये सवाल तुम्हारे मन में आएँगे। बेटा, तुम्हारा समय और तुम्हारा करियर बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने तुम्हें इसलिए पाला है कि तुम दुनिया जीत सको।

एक बूढ़े की लाश के लिए तुम अपना नुकसान मत करना। इसलिए मैंने अपनी मृत्यु की व्यवस्था पहले ही कर दी है।

एजेंसी को पैसे दे दिए हैं। वे सब कर देंगे। तुम आ सको तो अच्छा है, न आ सको तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं।

बस एक विनती है — जब मैं तुम्हें बचपन में स्कूल छोड़ने जाता था, तो तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ा था।

आज जब तुम मुझे अग्नि दो, तो तुम्हारा हाथ काँपना नहीं चाहिए। जल्दी वापस चले जाना। तुम्हारी पत्नी इंतज़ार कर रही होगी। तुम्हारा, पापा।"

चिट्ठी पढ़ते ही रोहन के हाथ से चेकबुक कीचड़ में गिर गई। उस श्मशान में, जहाँ लकड़ियों के जलने की आवाज आ रही थी। वहाँ अब रोहन का अहंकार और करियर का घमंड जलकर राख हो चुका था। वह घुटनों के बल बैठ गया।

चिल्लाया — "पापाङ्ग!! मुझे माफ कर दीजिए!"

उसने सुमित के पैर पकड़ लिए। "सुमित,

मुझे अमेरिका नहीं जाना। मुझे अपने पापा के साथ रहना है! मैंने करोड़ों रुपये कमाए, पर मैं तो असली भिखारी निकला! मेरे पापा ने मरते समय भी मेरी मीटिंग की चिंता की और मैं उनके अंतिम दर्शन का भी हिसाब लगा रहा था?"

उस दिन रोहन फ्लाइट नहीं पकड़ सका।

वह वहीं, जलती चिता के सामने रात भर बैठा रहा। क्योंकि उसे समझ आ गया था — 'प्री-पेड' सिर्फ सिम कार्ड हो सकता है,

पिता का प्रेम नहीं।

पिता का प्रेम 'अनलिमिटेड' होता है,

और उसकी कीमत दुनिया की कोई भी करंसी नहीं चुका सकती।

आप दुनिया में कितने भी बड़े बन जाएँ,

कितना भी पैसा कमा लें लेकिन जिन माता-पिता ने आपका बचपन सँवारा, उनके अंतिम सफर में साथ देने से कभी पीछे मत हटिए।

एजेंसी अंतिम संस्कार कर सकती है, लेकिन आँसू एजेंसी के नहीं होते — वे अपने खून के रिश्तों के ही होते हैं।

प्रेम की पांच भाषाएं; रिश्तों का मनोविज्ञान!

पिंकी कुंडू

अक्सर हम देखते हैं कि दो लोग एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, फिर भी उनके बीच अनबन रहती है या वे एक खालीपन महसूस करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम प्यार जताने के लिए उस तरीके का इस्तेमाल करते हैं जो हमें पसंद है, ना की वो जो हमारे साथी को समझ आता है।

हर इंसान का प्यार महसूस करने का एक अलग तरीका होता है, जिसे लव लैंग्वेज कहते हैं। अगर हम अपने पार्टनर की सही भाषा समझ लें, तो हम उनके दिल में अपनी जगह हमेशा के लिए पक्की कर सकते हैं। आइए जानते हैं वो पांच भाषाएं कौन सी हैं।

1. प्रशंसा और प्रोत्साहन के शब्द कुछ लोगों के लिए शब्द ही सब कुछ होते हैं। उनके लिए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ सुनना या उनके काम की तारीफ करना किसी जादू से कम नहीं होता। जब आप उनकी प्रशंसा करते हैं, जैसे ₹तुम आज बहुत सुंदर लग रहे हो₹, ₹खाना बहुत स्वादिष्ट बना है₹, या ₹मुझे तुम पर गर्व है₹, तो उनका आत्मविश्वास और प्यार दोनों बढ़ जाता है। ऐसे लोगों के लिए कड़वे शब्द या आलोचना बहुत गहरा घाव छोड़ते हैं, जिसे भरना मुश्किल होता है। इसलिए, अगर आपके पार्टनर की यह भाषा है, तो उन्हें समय-समय पर यह अहसास दिलाना न भूलें कि वे आपके लिए कितने खास हैं।

2. सेवा भाव या कार्यों द्वारा मदद इस श्रेणी के लोगों का मानना होता है कि प्यार शब्दों में नहीं, बल्कि कार्यों में दिखता है। अगर आप उनके लिए सुबह की चाय बना दें, घर की सफाई में हाथ बंटा दें, बच्चों को संभाल लें या उनकी गाड़ी साफ कर दें, तो उन्हें लगता है कि आप उनकी सच में परवाह करते हैं। उनके लिए प्यार का मतलब है जिम्मेदारी साझा करना। ऐसे लोगों को आलस या वादे करके काम न करना सबसे ज्यादा निराश करता है। उनके लिए सबसे रोमैंटिक लाइन होती है रुको, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ।

3. उपहारों का आदान प्रदान कई लोग इसे गलत समझते हैं और इसे लालच से जोड़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जिन लोगों की लव लैंग्वेज गिफ्ट्स होती है, उनके लिए उपहार की कीमत मायने नहीं रखती, बल्कि उसके पीछे की सोच मायने रखती है। उनके लिए एक छोटा सा गुलाब, एक चॉकलेट, या हाथ से बनाया गया कार्ड भी हीरे की अंगूठी जितना कीमती हो सकता है। यह उन्हें यह अहसास दिलाता है कि जब आप उनसे दूर थे, तब भी आप उनके बारे में सोच रहे थे। ऐसे साथी के लिए जन्मदिन या सालगिरह भूलना किसी अपराध से कम नहीं होता, क्योंकि वे इन मौकों को प्यार के उत्सव के रूप में देखते हैं।

4. क्वालिटी टाइम आज के डिजिटल युग में यह भाषा सबसे दुर्लभ और महत्वपूर्ण हो गई है। जिन लोगों की लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम है, उन्हें आपका पैसा या तोहफे नहीं, बल्कि आपका अविभाजित ध्यान चाहिए होता है। इसका मतलब है बिना टीवी और मोबाइल के एक-दूसरे के साथ बैठना, आँखों में आँखें डालकर बातें करना और एक-दूसरे को सुनना। वे चाहते हैं कि आप उनके साथ वॉक पर जाएं या साथ बैठकर लंच करें। जब आप उनकी बात सुनते समय फोन चलाते हैं, तो उन्हें लगता है कि वे आपकी प्राथमिकता नहीं हैं, जिससे रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है।

5. शारीरिक स्पर्श यहाँ स्पर्श का मतलब केवल बेडरूम तक सीमित नहीं है। जिन लोगों की यह मुख्य भाषा है, उनके लिए शारीरिक निकटता भावनात्मक सुरक्षा का प्रतीक है। हाथ पकड़कर चलना, सोफे पर पास बैठना, बालों में उंगलियां फेरना, या घर से निकलते समय गले मिलना ये छोटे-छोटे स्पर्श उनके इमोशनल टैंक को भरते हैं। अगर आप उनसे शारीरिक दूरी बनाते हैं या उनके स्पर्श को अनदेखा करते हैं, तो वे खुद को बहुत अकेला और अस्वीकृत महसूस करने लगते हैं। उनके लिए एक जादू की झप्पी किसी भी महंगे तोहफे से ज्यादा सुकून देने वाली होती है।

एक सफल और खुशहाल रिश्ता वह नहीं है जहाँ दो लोग एक जैसे हों, बल्कि वह है जहाँ दो अलग लोग एक-दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि आपकी लव लैंग्वेज गिफ्ट्स हो और आपके पार्टनर की क्वालिटी टाइम।

समस्या तब आती है जब हम अपनी भाषा थोपने लगते हैं। समझदारी इसी में है कि हम अपने साथी की भाषा को पहचानें और उसी में उनसे बात करें।

थोड़ा सा बदलाव और समझने की कोशिश आपके रिश्ते में नई जान डाल सकती है।

बोर्ड परीक्षाओं की पारदर्शिता बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता : एडीसी

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 25 फरवरी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की बुधवार से प्रारंभ होकर एक अप्रैल तक 12वीं कक्षा तथा 20 मार्च तक दसवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं का संचालन किया जा रह है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिला प्रशासन को पारदर्शी तरीके से नकल रहित परीक्षा संचालन कराने के जरूरी निर्देश दिए। एडीसी जगनिवास ने जिला झज्जर में परीक्षाओं के निर्बाध संचालन के लिए किए गए प्रबंधों की जानकारी दी। इस दौरान डीसीपी लोगेश कुमार पी उपस्थित रहे।

वीसी उपरांत एडीसी जगनिवास ने संबंधित अधिकारियों की बैठक लेते हुए निर्देश दिए कि बोर्ड परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए तत्परता से कार्य करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षाओं की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। बोर्ड परीक्षा नकल रहित, शांतिपूर्ण हो, इसके लिए सभी दिशा निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कहा कि एसडीएम, डीईओ, बीईओ सहित अन्य विभागीय अधिकारियों की अगुवाई में परीक्षाओं के लिए उडऩदस्तों का गठन भी किया गया है। ड्यूटी पर तैनात संबंधित अधिकारी व सुपरवाईजर सभी हिदायतों का विशेष ध्यान रखें।

जिला में 55 परीक्षा केंद्रों पर होगी बोर्ड परीक्षा

एडीसी ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के तत्वावधान में आयोजित परीक्षा के अंतर्गत जिला में कुल 55 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा नकल रहित करवाने के लिए प्रशासन ने संवेदनशील केन्द्रों पर एक-एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किया है। इसके अतिरिक्त बचे हुए परीक्षा केन्द्रों पर भी क्लस्टर बनाकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि बोर्ड स्तर, एसडीएम स्तर तथा खंड शिक्षा अधिकारी स्तर पर फ्लाईंग स्क्वायड का गठन किया गया है, जिसके तहत परीक्षा केंद्रों पर चेकिंग की जाएगी। सभी संबंधित विभागों के अधिकारी संवदेनशीलता के साथ निष्पक्ष रहकर

अलर्ट रूप से कार्य करें। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन व डिजिटल वॉच पर पाबंदी रहेगी।

सभी केन्द्रों पर होगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

उन्होंने बताया कि बोर्ड से प्राप्त पत्र के आधार पर जिला के सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के माध्यम से कड़ी सुरक्षा की गई है। केन्द्रों पर नियमानुसार पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। इसके अलावा संबंधित क्षेत्र के एसएचओ व चौकी इंजार्च पीसीआर व ईआरवी भी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगी। एडीसी जगनिवास ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों पर क्षेत्र के संबंधित प्रशासनिक अधिकारी भी परीक्षा केंद्रों का जायजा लेते रहेंगे।

परीक्षार्थियों को लिए भी होंगी सभी व्यवस्थाएं

एडीसी जगनिवास ने निर्देश दिए कि सभी परीक्षा केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं पेयजल, बिजली, शौचालय एवं बैठने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारी परीक्षा केंद्रों का निरन्तर निरीक्षण करें। सभी अधिकारी आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें और किसी भी प्रकार की समस्या आने पर तुरंत समाधान सुनिश्चित करने के लिए कहा गया।

अफवाह व फेक न्यूज पर होगी कार्रवाई

उन्होंने स्पष्ट किया कि बोर्ड परीक्षा शांतिप्रिय ढंग से सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। किसी भी रूप से भ्रामक जानकारी फैलाने व फेक न्यूज़ पर प्रशासन की पैनी नजर है और व्यर्थ की आधारहीन जानकारी फैलाने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने आमजन को सचेत किया कि आधारहीन खबरों व अन्य भ्रामक जानकारी से बचें और कोई भी इस प्रकार की तथ्यहीन जानकारी सांझा न करें।

इस अवसर पर एसडीएम झज्जर अंकित कुमार चौकसे, एसडीएम बेरी रेणुका नांदल, एसडीएम बादली डॉ रमन गुप्ता, डीईओ रतिंद्र सिंह, डा सुदर्शन पूनिया सहित सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

एडीसी और डीसीपी ने विभिन्न स्कूलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण

परीक्षा केंद्रों में हो सुरक्षा के सभी इंतजाम, बाहरी व्यक्ति के परीक्षा केंद्र में प्रवेश पर रोक

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 25 फरवरी। एडीसी जगनिवास और डीसीपी लोगेश कुमार ने बुधवार को जिला में चल रही हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं, 12वीं, हरियाणा ओपन स्कूल और जेबीटी (कम्पार्टमेंट) परीक्षाओं को नकल रहित आयोजित करवाने के उद्देश्य से जिला के विभिन्न स्कूलों का निरीक्षण किया।

इनमें राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय झज्जर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डीघल, महराणा, भदानी, डावला गांवों के स्कूल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जिलाभर में बोर्ड परीक्षाएं शांतिपूर्वक तरीके से आयोजित हों इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से सजग है तथा सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों की सख्ती से अनुपालना की जा रही है। निरीक्षण के दौरान डीसीपी लोगेश कुमार पी भी मौजूद रहे। एडीसी जगनिवास ने निरीक्षण के दौरान मौजूद केंद्र अधीक्षकों को निर्देश दिए कि वे परीक्षा केंद्रों को नकल रहित बनाने के लिए सभी बिंदुओं पर विशेष ध्यान दें तथा परीक्षा देने आ रहे परीक्षार्थियों की चेकिंग सुनिश्चित करें। उनके पास किसी भी प्रकार की अनुचित सामग्री नहीं होनी चाहिए। बाहर से नकल के लिए मिलने वाली मदद की सभी संभावनाओं से संबंधित पहलुओं पर भी विशेष ध्यान दें। परीक्षा के दौरान कोई भी बाहरी व्यक्ति परीक्षा केंद्र में प्रवेश न करे। परीक्षा केंद्र में सुरक्षा के सभी इंतजाम पूरे हों तथा निगरानी कर रहे अध्यापक नकल रहित परीक्षा आयोजित करवाने के लिए पूरी तरह से सजग हों।

उन्होंने बताया कि जिले में परीक्षाओं के लिए कुल 55 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर शांतिपूर्ण परीक्षाओं के संचालन के लिए प्रशासन द्वारा प्रभावी रूप से कार्य किए जा रहे हैं।

पंचायत उपचुनाव-2026 के चलते जिला निर्वाचक अधिकारी नियुक्त

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 25 फरवरी। राज्य निर्वाचन आयोग, द्वारा जारी अधिसूचना की अनुपालना में जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) जगनिवास ने पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव-2026 के लिए मतदाता सूचियां तैयार करवाने हेतु हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला झज्जर के विभिन्न खण्डों के लिए जिला निर्वाचक (इलेक्टोरल) अधिकारियों की नियुक्ति की है।

जारी आदेशअनुसार खण्ड झज्जर के लिए उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बहादुरगढ़ खण्ड के लिए उप-मण्डल अधिकारी (ना0) बहादुरगढ़, बादली खण्ड के लिए उप-मण्डल अधिकारी (ना0) बादली, बेरी खण्ड के लिए उप-मण्डल अधिकारी (ना0) बेरी, मातनहेल खण्ड के लिए जिला राजस्व अधिकारी झज्जर तथा साल्हावास खण्ड के लिए महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन विभाग झज्जर को जिला निर्वाचक अधिकारी नियुक्त किया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) जगनिवास ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मतदाता सूचियों की तैयारी का कार्य निर्धारित समय-सीमा में नियमों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए, ताकि पंचायत उपचुनाव-2026 की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके।

झज्जर में उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम की बैठक (26 फरवरी)आज

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 25 फरवरी। उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) द्वारा कार्यकारी अभियंता कार्यालय में गुरुवार (26 फरवरी को) बिजली उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम की बैठक का आयोजन किया जाएगा। सुबह 11 बजे से सांय 4 बजे तक उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम का आयोजन होगा। बैठक फोरम के चेयरमैन एवं बिजली निगम के कार्यकारी अभियंता ऑप्रेशन सर्कल झज्जर की अध्यक्षता में होगी। प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में झज्जर क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों को झज्जर कार्यालय में सुना जाएगा। इस दौरान बिजली बिल, कनेक्शन और अन्य तकनीकी समस्याओं से जुड़े परिवादों की सुनवाई की जाएगी।

जिला व उपमंडल स्तर पर समाधान शिविर आज : एडीसी

सुबह 10 से 12 बजे तक अधिकारी सुनेंगे नागरिकों की शिकायतें

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 25 फरवरी। आमजन की समस्याओं के शीघ्र, पारदर्शी एवं प्रभावी निवारण के उद्देश्य से गुरुवार, 26 फरवरी को जिला मुख्यालय सहित सभी उपमंडलों में समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। समाधान शिविर प्रातः: 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगे, ताकि नागरिकों को उनकी शिकायतों के समाधान के लिए एक सुलभ एवं प्रभावी मंच उपलब्ध हो सके।

जिला स्तरीय समाधान शिविर लघु सचिवालय, झज्जर स्थित प्रथम तल पर कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित होगा, जिसकी अध्यक्षता एडीसी जगनिवास करेंगे। शिविर के दौरान एडीसी विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें सुनेंगे । उपमंडल स्तर पर भी संबंधित लघु सचिवालय परिसरों में समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। बहादुरगढ़ में एसडीएम अभिनव सिवाच, बेरी में एसडीएम रेणुका नांदल तथा बादली में एसडीएम डॉ. रमन गुप्ता की अध्यक्षता में शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में नागरिकों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटान सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे लोगों को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

अतिरिक्त उपायुक्त जगनिवास ने बताया कि समाधान शिविर प्रशासन और नागरिकों के बीच सीधे संवाद का सशक्त माध्यम हैं। शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहते हैं, जिससे आमजन को एक ही स्थान पर बहुविभागीय सेवाएं और समस्याओं का त्वरित समाधान मिल सके। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे इन शिविरों का अधिकाधिक लाभ उठाएं।

झज्जर के बिजली उपभोक्ताओं की रोहतक में आज होगी सुनवाई

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 25 फरवरी। उपभोक्ताओं की बिजली एवं बिजली बिल से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के निवारण के उद्देश्य से गुरुवार, 26 फरवरी को प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक चेयरमैन जोनल फॉर्म उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम द्वारा राजीव गांधी विद्युत सदन रोहतक स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में सुनवाई की जाएगी। प्रवक्ता ने बताया कि इस दौरान चेयरमैन, चीफ इंजीनियर जोनल फॉर्म रोहतक स्वयं उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनेंगे तथा उनका त्वरित निवारण सुनिश्चित करेंगे। विशेष रूप से झज्जर जिले के उपभोक्ता भी अपने बिजली बिल

संबंधी मामलों को बैठक में प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यदि उपभोक्ता अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता या उपमंडल अभियंता के निर्णय से संतुष्ट ना हो तो वे अपनी शिकायत चेयरमैन, जोनल फॉर्म रोहतक के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास सभा बालक (हिसार) रजि. न. 1844 की नवनियुक्त कार्यकारिणी घोषित

बरवाला/हिसार, 25 फरवरी। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास सभा बालक जिला हिसार द्वारा एक मीटिंग रविदास मंदिर में बुलाई गई जिसमें सर्वसम्मति से प्रधान श्री शमशेर सिंह, उपप्रधान मनदीप सिंह, महासचिव नरेश गुणपाल, सचिव अजय कुमार, सहसचिव सतीश कुमार, कोषाध्यक्ष आजाद सिंह, उपकोषाध्यक्ष रमेश कुमार, ऑडिटर कुलदीप सिंह व डा. राजीव, मुख्य संगठन सचिव प्रताप सिंह, संदीप सिंह व बलराज सिंह उर्फ़ शोलू, प्रचार सचिव बजरंग, विकास मोबाइल गैलरी, डा. राजू, राजेश गैस एजेंसी व सोनू टेंट हाउस, कार्यालय सचिव अजय गुणपाल, कार्यालय स्टोर कीपर विकास गुणपाल, अजय गुणपाल, लाइब्रेरी इंचार्ज मा. राजेश गुणपाल, विकास गुणपाल, सुखदेव सिंह एवं सदस्य डॉ. जयवीर सिंह, विवेक गुणपाल, राममेहर ठोलेदार, मंजीत सिंह, साहिल, डा. संदीप, शीतल मिस्त्री, अजीत सिंह, सतीश गुणपाल, सतीश ड्राइवर, सलाहकार श्री रामभक्त, श्री रामफल. श्री चांदीराम, श्री रामकिशन, श्री बलवान दास, श्री पालेराम, श्री सत्यवान बालक, श्री रामपाल, श्री गोपाल, श्री निहाल सिंह, श्री मनोहर लाल, श्री रामकिशन नंबरदार, श्री सतबीर सिंह, श्री सुबे सिंह, श्री जगदीश, श्री सुभाष टेलर, श्री बंशी गुणपाल, मा. राजेराम, मा. गुलाब सिंह, मा. रिसाल, श्री जोगी राम, मा. बनारसी दास, श्री सुरेश, श्री दयानन्द, श्री राजेश, श्री सबेरू, श्री बजरंग लाल, मा. विकास गुणपाल, मा. सुनील कुमार, मा. प्रदीप ग्रोवर, मनजीत गुणपाल, राकेश कुमार, वजीर सिंह व मनोज भुक्कल को नियुक्त किया गया है।

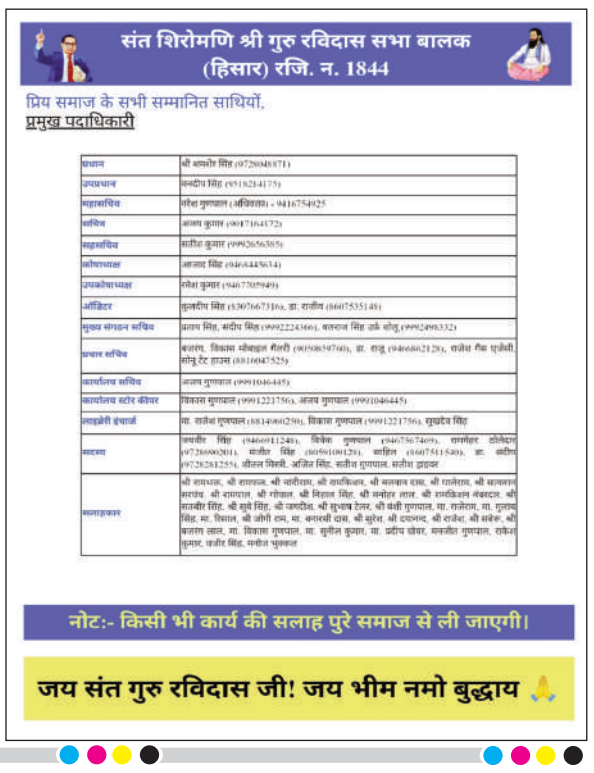

कानपुर में छात्र की मौत के बाद पीएसआईटी कॉलेज में जमकर बवाल, लाठीचार्ज में कई छात्र घायल

सुनील बाजपेई

कानपुर। कल मंगलवार जेसीबी से टकराकर हुई छात्र की मौत के मामले में प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उत्तेजित छात्रो ने आज बुधवार को पनकी स्थित पीएसआईटी कॉलेज में बवाल के साथ जमकर तोड़फोड़ भी की। इस बीच पुलिस ने भी जमकर लाठीचार्ज किया ,जिसमें कई छात्र घायल भी हो गए। यहां हालातों पर मुश्किल से नियंत्रण के बाद तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया।

साथी छात्र की मौत से आक्रोशित हजारों छात्रों ने पहले कैंपस में शांति मार्च निकाला, जिसके बाद देखते ही देखते उनका प्रदर्शन उग्र हो गया। इस बीच गुस्साए छात्रों ने कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। उन्होंने कैंपस के शीशे तोड़ दिए, गमले फेंक दिए और फर्नीचर को भी तहस नहस कर डाला।

जिसकी सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और जब छात्र समझाने के बाद भी नहीं माने तो उसने छात्रों पर लाठी चार्ज कर दिया ,जिसमें कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए।

छात्रों ने इस दौरान यह भी आरोप लगाया कि कॉलेज परिसर में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है। जिसकी वजह से ही रतनलाल नगर निवासी बीसीए अंतिम वर्ष के छात्र प्रखर सिंह असमय ही मौत का शिकार हो गया। छात्रों ने मांग उठाई है कि सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक, जब कक्षाएं संचालित होती हैं। उस दौरान किसी भी तरह का निर्माण कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित रहे। इस हंगामे के दौरान छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं इसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला और कई घंटे की संघर्ष के बादछात्रों को शांत करने में सफलता प्राप्त की लेकिनतनाव लगातार बरकरार है ,जिसे देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। पुलिस ने बताया कि तोड़फोड़ करने वाले छात्रों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके भी कार्रवाई की जाएगी।

आपकी सतर्कता और कुछ मिनटों का समय किसी की ज़िंदगी बचा सकता है।

पिंकी कुंडू

सड़क पर दुर्घटना दिखे तो आगे बढ़ने से पहले रुकें।
1. मदद करें।
2. एम्बुलेंस को कॉल करें।

आपकी मानवता और साहस के लिए सरकार द्वारा:
1. 1 लाख तक का सम्मान (टॉप-10 राह वीरों को)
2. 25,000 तक का प्रोत्साहन

आइए, "राह वीर" बनें, क्योंकि Golden Hour में आपका एक कदम किसी की जिंदगी बचा सकता है।जीवन रक्षा से बड़ा कोई दान नहीं।

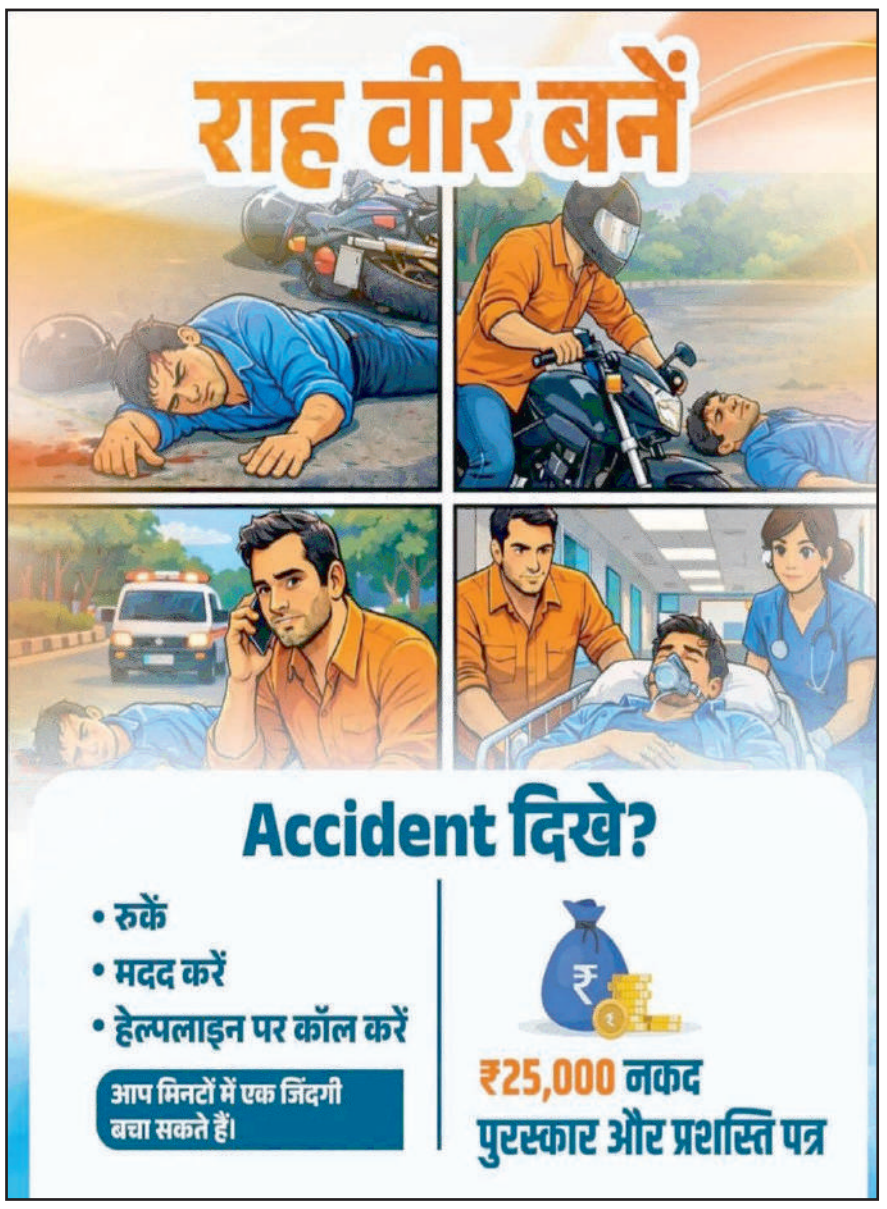

राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा: डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर की अध्यक्षता में दूरसंचार विभाग की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक

संगिनी घोष

नई दिल्ली में आयोजित हुई महत्वपूर्ण बैठक

दूरसंचार विभाग की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य विभाग और उसके संबद्ध कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करना था।

ऐसे देखें तो, यह बैठक केवल प्रशासनिक औपचारिकता नहीं बल्कि सरकारी संचार को अधिक प्रभावी और जन-केंद्रित बनाने की दिशा में एक प्रयास मानी जा सकती है।

राजभाषा नीति के क्रियान्वयन पर चर्चा

बैठक में विभागीय कार्यप्रणाली में हिंदी के उपयोग, आधिकारिक पत्राचार, डिजिटल संचार और जनसेवा से जुड़े माध्यमों में राजभाषा के प्रभावी प्रयोग पर विचार-विमर्श किया गया। समिति ने सुझाव दिया कि नागरिकों से जुड़ी सेवाओं में हिंदी के प्रयोग को और सशक्त बनाया जाए।

हिंदी को जनसंवाद का सेतु बताया

अपने संबोधन में डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर ने कहा कि हिंदी देशभर के करोड़ों नागरिकों से संवाद स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि भाषा केवल संचार का साधन नहीं, बल्कि विश्वास और सहभागिता का आधार भी है।

समावेशी लोक सेवा पर जोर

मंत्री ने यह भी कहा कि हिंदी के प्रभावी उपयोग से नागरिकों की समस्याओं और अपेक्षाओं को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है, जिससे लोक सेवा वितरण अधिक समावेशी और सुगम बनता है। उन्होंने अधिकारियों से राजभाषा के उपयोग को और प्रोत्साहित करने का आह्वान किया।

ऐसे देखें तो, राजभाषा का सशक्त क्रियान्वयन प्रशासनिक पारदर्शिता और नागरिक सहभागिता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

मुख्य बिंदु

* नई दिल्ली में हिंदी सलाहकार समिति की बैठक आयोजित।
* दूरसंचार विभाग और संबद्ध कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा।
* हिंदी को जनसंवाद का प्रभावी माध्यम बताया गया।
* समावेशी लोक सेवा वितरण पर जोर।
* डिजिटल और आधिकारिक संचार में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने की बात।
* नागरिक सहभागिता और पारदर्शिता को मजबूत करने का उद्देश्य।

आगे की दिशा

विश्लेषकों का मानना है कि यदि सरकारी विभागों में राजभाषा के उपयोग को व्यवस्थित और तकनीकी रूप से सशक्त किया जाए, तो इससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी और नागरिक-हितैषी बन सकती है। आने वाले समय में विभागीय स्तर पर किए जाने वाले सुधार इस दिशा में अहम साबित हो सकते हैं।

मानवता ही राष्ट्र की आत्मा डॉ. विक्रम चौरसिया

निस्वार्थ भाव से मानव सेवा करना केवल एक नैतिक दायित्व नहीं, बल्कि सशक्त राष्ट्र-निर्माण की आधारशिला है। जब व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्रहित को प्राथमिकता देता है, तभी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना सार्थक होती है। मानवता किसी जाति, वर्ग या धर्म की सीमाओं में बंधी नहीं होती; वह समाज को जोड़ने वाली अदृश्य किंतु प्रभावशाली शक्ति है।

परोपकार अनेक रूपों में संभव है। यदि हमारे पास आर्थिक संसाधन उपलब्ध हैं, तो हम जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और शिक्षा का सहयोग दे सकते हैं।किसी निर्धन बच्चे की शिक्षा में सहायता करना वस्तुतः राष्ट्र के भविष्य को सशक्त बनाना है।एक शिक्षित युवा केवल अपने परिवार का नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज का संबल बनता है।

यदि आपके पास संसाधन सीमित हों, तब भी सेवा के मार्ग कभी बंद नहीं होते। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, निरक्षरों को साक्षर बनाना, रक्तदान करना, वृद्धजनों की सहायता करना अथवा आपदा के समय सहयोग देना,ये छोटे-छोटे प्रयास समाज में बड़े परिवर्तन की नींव रखते हैं। राष्ट्रप्रेम केवल नारों से नहीं, बल्कि आचरण से प्रकट होता है।जीवन का एक अटल सत्य यह भी है कि इस संसार में माँ के गर्भ से आने का समय तो प्रकृति ने निर्धारित 9 माह किया है, किंतु जाने का क्षण पूर्णतः अनिश्चित है। कोई व्यक्ति सौ वर्ष से अधिक जीवित रहता है, तो कोई अगले ही पल विदा हो जाता है। यही अनिश्चितता हमें स्मरण कराती है कि प्रत्येक श्वास अमूल्य है और प्रत्येक दिन सेवा का एक अवसर है।

मैं स्वयं विक्रम अपने विद्यार्थी जीवन से ही झुग्गी-बस्तियों के वंचित बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास करता रहा हूँ। मेरा अनुभव है कि सेवा केवल दूसरों के जीवन में परिवर्तन नहीं लाती, बल्कि स्वयं के भीतर भी आत्मिक शांति और उद्देश्य की अनुभूति कराती है।जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं को पाने का सर्वोत्तम तरीका है स्वयं को दूसरों की सेवा में खो देना। आज के समय में यह संदेश पहले से अधिक प्रासंगिक है।आइए, हम सब मिलकर संकल्प लें कि जाति और धर्म की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर मानवता, नैतिकता और राष्ट्रहित को सर्वोच्च स्थान देंगे। वंचितों की सहायता को अपना कर्तव्य समझेंगे और अपने आचरण से राष्ट्र को सुदृढ़ बनाएंगे।यही सच्ची इंसानियत है, यही राष्ट्रसेवा है, और यही एक जागरूक, समृद्ध तथा सशक्त भारत की पहचान है।

चिंतक/मेंटर/एक्टिविस्ट/ दिल्ली विश्वविद्यालय

भारतीय मजदूर संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है....

परिवहन विशेष न्यूज

पीलीभीत। भारतीय मजदूर संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है और पारस्परिक सहयोग के आधार पर कार्य करता है। आज जबकि मजदूर और कर्मचारी महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी उपेक्षाओं के कारण अत्यंत परेशान है। आंगनबाड़ी बहनों के लिए सरकार के द्वारा तय किए गए मानदेय को भी नहीं लागू किया जा रहा है।आशा/आशा संगिनी बहनों के साथ भी पूर्ण रूप से अन्याय हो रहा है।संविदा कर्मियों को आउटसोर्सिंग के नाम पर न तो उनको समय पर वेतन दिया जाता है तथा नौकरी से निकाले जाने का भय सदैव रहता है।उनके लिए कोई नियमावली भी नहीं बनाई गई है। सफाई कर्मचारी को बिना सुरक्षा उपकरण के ही कार्य कराया जाता है और उचित वेतन भी नहीं दिया जाता है।एनएचएम में कार्य कर रहे संविदा कर्मियों को बीमा का लाभ देने के लिए केंद्र सरकार से बजट मिला लेकिन उसे भी अभी तक लागू नहीं कराया गया। स्थानांतरण का भय दिखाकर उनका शोषण किया जाता है।वेतन विसंगतियां पहले से ही विद्यमान है। 108,102 एंबुलेंस के बर्खास्त कर्मियों को वार्ता के बाद भी अभी तक वापस नहीं लिया गया। वो भुखमरी में जी रहे हैं। पटरी रेहाड़ी दुकानदारों को प्रतिदिन उत्पीड़न और जलालत झेलनी पड़ती है। असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे दिहाड़ी मजदूर, ग्रामीण मजदूर, नाई,धोबी, दर्जी अन्य सभी को कोई सामाजिक सुरक्षा व प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था भी नहीं है।सरकारी कर्मचारियों की बहुत समय से चली आ रही पुरानी पेंशन की मांग को सरकार ने अभी तक पूरा नहीं किया है।उसी के क्रम में आज दिनांक 25 फरवरी 2026 को श्रीमान जिलाधिकारी के माध्यम से आपको संबोधित 18 सूत्रीय यह ज्ञापन इस आपेक्षा के साथ प्रेषित है कि इन ज्वलंत समस्याओं पर विचार कर समाधान करने का कष्ट करें।

प्रमुख मांगें

1. आशा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाये व उन्हें प्रोत्साहन राशि के स्थान पर मानदेय दिया जाये।
2. आं ग न बा ड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करें और मानदेय में वृद्धि की जाये।
3. एनएचएम के सभी संविदा कर्मियों की बीमा, स्थानांतरण, वेतन विसंगतियों की समस्याओं का समाधान किया जाये।
4. आयुक्त व निबन्धक सहकारिता उ.प्र. द्वारा निर्गत वेतनमान पुनरीक्षण परिपत्रांक सी-69, दि.07/01/2022 की विसंगतियों का निराकरण करते हुए 16 बैंकों के वेतनमान पुनरीक्षण करने एवं जिला सहकारी बैंकों में सहायक महाप्रबंधक के पद का सृजन किया जाये।
5. बैंकिंग उद्योग में 5 दिवसीय कार्यसप्ताह लागू किया जाये।
6. वर्ष 2001 से पूर्व के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने व उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के मृतक आश्रितों को नौकरी देने के आदेश का अनुपालन कराया जाये।
7. निकायों में वर्षों से वाहन चालक का कार्य करने वाले समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ड्राइवर के रिक्त पदों पर समायोजित किया जाये।
8. निकायों में पं. दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस योजना को लागू किया जाये।
9. पटरी रेहाड़ी दुकानदारों को समुचित स्थान दिया जाए एवं उनका उत्पीड़न बंद किया जाए।
10. ई-रिक्शा, आटो को स्टैंड दिया जाए एवं पुलिस उत्पीड़न बंद किया जाए।
11. ई-रिक्शा चालक, आटो चालक, धोबी, दर्जी, बढ़ई, लुहार, मोची, कुम्हार को मजदूर की श्रेणी प्रदान की जाए और सामाजिक सुरक्षा से आवृत किया जाए।
12. कृषि ग्रामीण एवं दिहाड़ी मजदूरों का पारिश्रमिक तय किया जाए एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए।
13. संविदा/निविदा सफाई कर्मचारियों को रुपये 18000/- का वेतन दिया जाए एवं उन्हें नियमित किया जाए।
14. 108,102 एंबुलेंस के बर्खास्त कर्मियों की बहाली करो एवं ड्राफ्त, धन उगाही को बंद करो।
15. संविदा/आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियमावली बनाई जाए।
16. मिड-डे मील के कर्मचारियों का मानदेय रुपये 10000/- किया जाए।
17. पुरानी पेंशन बहाल की जाए।
18. पत्रकारों/श्रमजीवी पत्रकारों को सुरक्षा बीमा एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए।

विरोध प्रदर्शन में साधुराम दिवाकर जिला अध्यक्ष ब्रह्म स्वरूप वर्मा जिला मंत्री योगेंद्र सिंह जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार शर्मा संयुक्त मंत्री शेर सिंह चौहान कोषाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष संयुक्त स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ पीलीभीत राजकुमार श्रीवास्तव जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ पीलीभीत अमरेश कुमार नंदकिशोर कश्यप जिला अध्यक्ष रेहडी पटरी कर्मचारी संघ पीलीभीत मनोज कुमार पांडे प्रमोद कुमार वर्मा बालक राम वर्मा बृजलाल राजपूत बंटी लोधी गोविंदराम टीवी अस्पताल अमरेश कुमार अमित भारद्वाज अनामिका श्रीवास्तव राजेश कुमार दिनेश बाथम डॉक्टर देवेश गिरी आदि अनेक कर्मचारी उपस्थित रहे।

निवेदक- ब्रह्म स्वरूप वर्मा जिला मंत्री भारतीय मजदूर संघ जिला कार्यसमिति पीलीभीत

कपिल कुटीर सांख्य योग आश्रम में 26 से 28 फरवरी तक मनेगा दिव्य व भव्य होली महोत्सव

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

वृन्दावन। छटीकरा रोड़ स्थित श्रीकपिल कुटीर सांख्य योग आश्रम में ठाकुर श्रीराधिका बिहारी जू महाराज का 21 वां त्रिदिवसीय पाटोत्सव एवं होली महोत्सव 26 से 28 फरवरी 2026 पर्यंत विभिन्न धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आयोजित किया गया है।

इस बारे जानकारी देते हुए महोत्सव के समन्वयक डॉ. गोपाल चतुर्वेदी ने बताया है कि महामंडलेश्वर राधिका साधिका पुरी (जटा वाली मां) के पावन सानिध्य में आयोजित इस त्रिदिवसीय महोत्सव के पहले दिन 26 फरवरी को प्रातः 7 बजे से श्रीरामचरित मानस व हरिनाम संकीर्तन का अखंड पाठ प्रारम्भ होगा। अपरान्ह 2 बजे से ठाकुर राधिका बिहारी जू महाराज की शोभायात्रा अत्यंत धूमधाम व गाजे - बाजे सहित समूचे नगर में निकाली जाएगी। 27 फरवरी को प्रातः 7 बजे से पूर्वान्ह 11 बजे तक विश्व शांति हेतु महायज्ञ होगा। तत्पश्चात संत - विद्वत सम्मेलन एवं वृहद भंडारा होगा। तीसरे दिन 28 फरवरी को श्रीमहायज्ञ की पूर्णाहुति के साथ महोत्सव का समापन होगा।

विद्योत्तमा फाउंडेशन नासिक की दिल्ली शाखा ने किया काव्य गोष्ठी का आयोजन

तीन काव्य कृतियों का लोकार्पण ।

नई दिल्ली। द्वारका नई दिल्ली में विद्योत्तमा फाउंडेशन, नासिक के संस्थापक श्री सुबोध कुमार मिश्र के आगमन पर विद्योतमा फाउंडेशन दिल्ली शाखा ने एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया।इसी आयोजन में तीन कृतियों का लोकार्पण भी हुआ।सरोजिनी तन्हा की पुस्तक "कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम्", दीपमाला माहेश्वरी की कृति "सुनहरे पंख" तथा सत्यदेव तिवारी की पुस्तक "श्री राम नाम रामायण" का विधिवत विमोचन किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ सीमा मंजरी द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना से हुआ।इस सुन्दर काव्य गोष्ठी का प्रभावपूर्ण संचालन डॉ. वर्षा सिंह द्वारा किया गया।मीडिया प्रभारी प्रो. मनोज कुमार कैन की सक्रिय उपस्थिति ने आयोजन को विशेष गरिमा प्रदान की।

काव्य गोष्ठी में कवियों ने विभिन्न विषयों—प्रभु-भक्ति, देशभक्ति, श्रृंगार, सामाजिक चेतना और मानवीय संवेदना से ओतप्रोत रचनाएँ प्रस्तुत कीं। सुबोध कुमार मिश्र ने₹नई कोंपलें फूटेगी जब-जब, यह जीवन बसंती हो जाएगा

जाएगा;सरोजिनी 'तनहा' ने

"नज़र आते हैं यूँ तो ज़िन्दगी के सारे रंग इसमें, मगर रंगे अदावत में इसे जोड़ा नहीं जाता";पुष्पा सिंह ने

"शहीदों की शहादत पे रखी जो हमने आज़ादी की नींव,उनके देखे सपनों का आज भारत कहाँ है₹ ?;प्रदीप मिश्र ₹अजनबी₹ ने यदि मस्तिष्क सतर्क रहेगा, निश्चित घर ले जायेगा,

किन्तु यंत्र जो फीड हुआ हो, उतना भर ले जायेगा।

वर्षा सिंह ने₹रंग प्यार का गहरा,बीत गई होली,पर रंग नहीं उतरा₹;सीमा मंजरी ने₹पथ निहारत, डगर बुहारत बीती सुबह शाम,दर्शन दोगे कब तुम शबरी को राम₹;किरण मिश्रा कौशिक ने₹जाति क्यों नहीं जाती,काँप उठा है हृदय धरा का,सुनकर पीड़ बेचारों की,हाय यह कैसी दयनीय दशा है,घृणित प्रथा के मारों की;दीपमाला माहेश्वरी ने₹तन से सुन्दर स्त्री आकर्षण का केन्द्र बन जाए,नैनों को लुभाए,सबका हृदय रिझाए;पर मन की सुन्दरता जाने कौन-सोचो, क्या है ज़रूरी उसके प्रति दृष्टि या दृष्टिकोण' ?;मनोज कुमार कैन ने ₹आजकल मचान पर नहीं बैठते हंस, बैठते हैं कौवे,करते हैं बार-बार कांव-कांव₹ आदि कविताओं का पाठ किया।

यह आयोजन साहित्य, सम्मान और सौहार्द का सुंदर संगम सिद्ध हुआ।

साहित्य और कृत्रिम बुद्धिमत्ता: एक संतुलित भविष्य की खोज में

● डॉ. विजय गर्ग

एआई-संचालित लेखन उपकरण कुछ ही सेकंड में कविताएं, कहानियां, निबंध और यहां तक कि उपन्यास भी तैयार कर सकते हैं। ऐलिस और स्पार्कल जैसे कार्य यह दर्शाते हैं कि एआई कितनी जल्दी चित्रों के साथ पूर्ण कथाएं तैयार कर सकता है। इस तरह के विकास से प्रौद्योगिकी की गति और पहुंच पर प्रकाश पड़ता है, जिससे गैर-लेखकों को भी प्रकाशन योग्य सामग्री बनाने में मदद मिलती है।

जैसे-जैसे हम 2026 में आगे बढ़ रहे हैं, साहित्य और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का अंत विज्ञान कथा के दायरे से बाहर निकलकर लेखकों, विद्वानों और पाठकों के दैनिक अभ्यास की ओर बढ़ गया है। बातचीत अब इस बारे में नहीं है कि क्या एआई साहित्य को बदलेगा, बल्कि यह है कि हम तकनीकी नवाचार और कहानी कहने में मानव आत्मा के संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं। ₹लेखक-एजेंट₹ का विकास वर्ष 2026 में लेखक की भूमिका में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। हम साधारण ₹सह-पायलटों₹ से आगे बढ़कर एजेंटिक AI—सिस्टम तक पहुंच गए हैं जो स्वतंत्र विचार-मंथन, विश्व-निर्माण और संरचनात्मक विश्लेषण करने में सक्षम हैं। साहित्य और प्रौद्योगिकी के बीच संबंध हमेशा गतिशील रहा है। प्रिंटिंग प्रेस से लेकर डिजिटल प्रकाशन तक, प्रत्येक तकनीकी बदलाव ने कहानियों को लिखने, वितरित करने और पढ़ने के तरीके को नया रूप दिया है। आज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) अब तक की सबसे अधिक परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जो रचनात्मकता, लेखकत्व, नैतिकता और कहानी कहने के भविष्य के बारे में गहन प्रश्न उठाता है। एआई को या तो खतरा या चमत्कार के रूप में देखने के बजाय, हमारे सामने चुनौती एक संतुलित भविष्य का निर्माण करना है, जहां मानव कल्पना और मशीन बुद्धिमत्ता एक दूसरे के पूरक हों।

साहित्यिक सृजन का बदलता परिदृश्य

एआई-संचालित लेखन उपकरण कुछ ही सेकंड में कविताएं, कहानियां, निबंध और यहां तक कि उपन्यास भी तैयार कर सकते हैं। ऐलिस और स्पार्कल जैसे कार्य यह दर्शाते हैं कि एआई कितनी जल्दी चित्रों के साथ पूर्ण कथाएं तैयार कर सकता है। इस तरह के विकास से प्रौद्योगिकी की गति और पहुंच पर प्रकाश पड़ता है, जिससे गैर-लेखकों को भी प्रकाशन योग्य सामग्री बनाने में मदद मिलती है।

शोध से पता चलता है कि एआई विचार सृजन, पाठ्य विश्लेषण और संपादन में सहायता करके साहित्यिक निर्माण और आलोचना को नया रूप दे रहा है। हालांकि, पाठक और विशेषज्ञ अक्सर यह नोट करते हैं कि एआई-जनरेटेड लेखन में मानव द्वारा लिखित कार्यों में पाई जाने वाली गहरी भावनात्मक अनुनाद और सांस्कृतिक आधार का अभाव हो सकता है।

साथ ही, अध्ययनों से पता चलता है कि एआई उपकरणों के साथ काम करने वाले मानव लेखक अक्सर अकेले काम करने वालों की तुलना में अधिक रचनात्मक प्रदर्शन करते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि एआय एक प्रतिस्थापन के बजाय एक संवर्धित भागीदार के रूप में कार्य कर सकता है।

रचनात्मकता: मानव आत्मा बनाम. एल्गोरिदमिक तर्क

साहित्य केवल शब्दों के बारे में नहीं है; यह जीवित अनुभव, स्मृति, संस्कृति और भावनात्मक गहराई के बारे में है। एआई पैटर्न, संभावनाओं और डेटा प्रशिक्षण के माध्यम से कार्य करता है। यद्यपि यह शैली और संरचना की नकल कर सकता है, लेकिन इसमें चेतना, इरादा या जीवित मानवीय अनुभव नहीं होता।

विद्वान इस बात पर जोर देते हैं कि रचनात्मकता केवल एक उत्पाद नहीं है, बल्कि मानव व्याख्या और सांस्कृतिक संदर्भ द्वारा आकार ली गई प्रक्रिया है। इससे पता चलता है कि एआई-जनरेटेड पाठ तभी सार्थक होता है जब उसे मनुष्यों द्वारा निर्देशित, संवर्धित और व्याख्याबद्ध किया जाता है।

इस प्रकार, साहित्य का भविष्य सहयोगात्मक रचनात्मकता में निहित हो सकता है, जहां एआई विचारों को उत्पन्न करने, कथानक की संरचना करने या लेखक के अवरोधों पर विजय पाने में मदद करता है, जबकि मानव लेखक अर्थ और भावनात्मक गहराई को आकार देते हैं।

नैतिक और कानूनी प्रश्न

साहित्य में एआई का उदय कई नैतिक चिंताओं को जन्म देता है:

लेखकत्व और मौलिकता जब कोई मशीन पाठ उत्पन्न करती है तो लेखक कौन होता है? विद्वानों का कहना है कि एआई लेखकत्व और मौलिकता की पारंपरिक अवधारणाओं को चुनौती देता है।

कॉपीराइट और प्रशिक्षण डेटा लेखकों को इस बात की चिंता है कि उनकी कृतियों का उपयोग बिना सहमति या मुआवजे के एआई मॉडलों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जा रहा है।

पारदर्शिता और प्रामाणिकता कुछ साहित्यिक संगठन अब पारदर्शिता और पाठकों के विश्वास को बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से मानव लेखकों द्वारा बनाई गई कृतियों पर लेबल लगाने का प्रचार करते हैं।

पूर्वाग्रह और गलत सूचना एआई प्रणालियां प्रशिक्षण डेटा में निहित पूर्वाग्रहों को प्रतिबिंबित कर सकती हैं और गलत या सांस्कृतिक रूप से असंवेदनशील सामग्री तैयार कर सकती हैं।

ये चिंताएं एआई-सहायता प्राप्त लेखन को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे और नैतिक दिशानिर्देशों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं।

लेखकों और प्रकाशन उद्योग पर प्रभाव

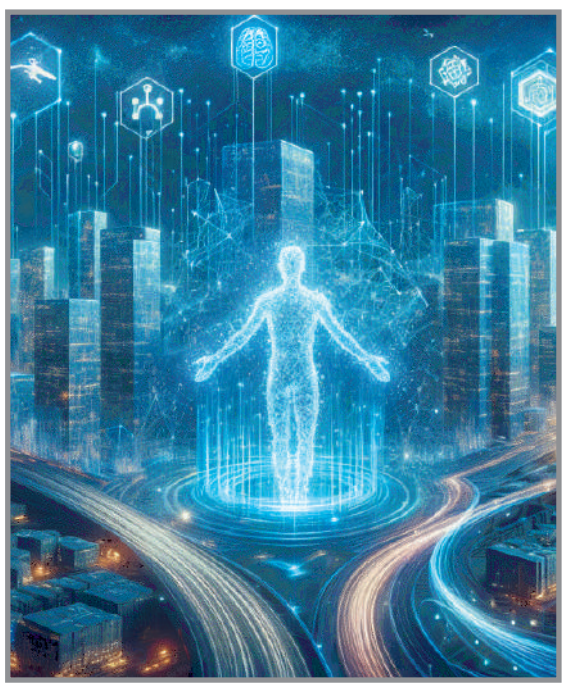

एआई का एकीकरण साहित्यिक पारिस्थितिकी तंत्र को बदल रहा है:

एआई उपकरण संपादन, अनुवाद और अनुसंधान में तेजी लाते हैं।

स्व-प्रकाशन आसान और तेज़ होता जा रहा है।

प्रकाशक एआई-संचालित डेटा का उपयोग करके पाठकों की प्राथमिकताओं का विश्लेषण कर सकते हैं।

नई विधाएं और एआई-सहायता प्राप्त कहानी कहने के प्रारूप उभर रहे हैं।

फिर भी, कई लेखकों को आर्थिक विस्थापन और रचनात्मक पहचान के नुकसान का डर है। सर्वेक्षणों से पता चलता है कि बड़ी संख्या में लेखकों का मानना है कि एआई उनकी आजीविका के लिए खतरा बन सकता है और आय के अवसरों को कम कर सकता है।

फिर भी, साहित्यिक विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि प्रामाणिक कहानी मानव अंतर्दृष्टि और सांस्कृतिक बारीकियों में निहित है। साहित्यिक विषय के रूप में एआई

सृजन के अलावा, एआई साहित्य में भी एक प्रमुख विषय बन गया है। समकालीन उपन्यास डिजिटल युग में निगरानी, एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह और मानव पहचान के विषयों का पता लगाते हैं, जो बुद्धिमान मशीनों के बारे में समाज की आशाओं और चिंताओं को प्रतिबिंबित करते हैं।

इस प्रकार, एआई न केवल साहित्य को आकार दे रहा है बल्कि यह इसके केंद्रीय आख्यानों में से एक बनता जा रहा है।

संतुलित भविष्य की ओर

साहित्य और एआई के बीच एक स्वस्थ संबंध बनाने के लिए, एक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है:

✓ एआई को एक उपकरण के रूप में अपनाएं, न कि प्रतिस्थापन के रूप में मानव रचनात्मकता को संरक्षित करते हुए अनुसंधान, विचार-मंथन और संपादन के लिए एआई का उपयोग करें।

✓ मानव आवाज और सांस्कृतिक गहराई को संरक्षित करें साहित्य को मानवीय अनुभव, विविधता और भावनात्मक सत्य को प्रतिबिंबित करना जारी रखना चाहिए।

✓ नैतिक दिशानिर्देश और कॉपीराइट सुरक्षा स्थापित करें लेखकों के अधिकारों और बौद्धिक संपदा की रक्षा के लिए पारदर्शी नीतियां आवश्यक हैं।

✓ लेखकों और पाठकों के बीच एआई साक्षरता को बढ़ावा दें एआई उपकरणों को समझने से रचनाकारों को उनका जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करने का अवसर मिलता है।

✓ सहयोगात्मक रचनात्मकता को प्रोत्साहित करें मानव कल्पना और मशीन बुद्धिमत्ता मिलकर साहित्यिक संभावनाओं का विस्तार कर सकते हैं।

निष्कर्ष

कृत्रिम बुद्धिमत्ता न तो साहित्य का अंत है और न ही उसका उद्धारकर्ता। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें रचनात्मकता, लेखकत्व और मानवीय अभिव्यक्ति के मूल्य पर पुनर्विचार करने की चुनौती देता है। यद्यपि मशीनें पाठ उत्पन्न कर सकती हैं, लेकिन वे मानव पीड़ा, आनंद, स्मृति और सांस्कृतिक विरासत की गहराई को नहीं दोहरा सकतीं, जो साहित्य को इसकी स्थायी शक्ति प्रदान करती है।

साहित्य का भविष्य केवल मनुष्यों या मशीनों द्वारा नहीं लिखा जाएगा, बल्कि दोनों के बीच विचारशील सहयोग से लिखा जाएगा। इस संतुलित भविष्य में, प्रौद्योगिकी कहानी कहने को बढ़ावा देगी, जबकि मानव रचनात्मकता साहित्य को अपनी आत्मा प्रदान करती रहेगी।

डॉ. विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रधान शैक्षिक स्तंभकार प्रख्यात शिक्षाविद स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट

होली मनाओ, हुड़दंग मत करो

डॉ. विजय गर्ग

होली रंगों का त्यौहार है, खुशियों का प्रतीक है और आपसी सामुदायिक बंधन को मजबूत करने का संदेश देता है। लेकिन आजकल इस पवित्र उत्सव के मद्देनजर 'झगड़े' की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जो चिंता का विषय है। हमें यह समझने की जरूरत है कि त्योहार मनाने का मतलब मर्दों को भूलना नहीं है। त्यौहार की मिठास और हमारी जिम्मेदारी होली हमें बुराई पर सत्य की विजय का एहसास कराती है। जब हम एक-दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, तो उसके पीछे प्रेम की भावना होनी चाहिए, न कि किसी को परेशान करने की जिद। हलचल से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें: सहमति का सम्मान: हर कोई होली खेलना पसंद नहीं करता है। यदि किसी व्यक्ति को रंग लगाने से मना किया जाता है, तो उसकी इच्छा का सम्मान करें। जबरन रंग डालना खुशी नहीं है, बल्कि बदनामी है। रासायनिक रंगों का त्याग: आजकल बाजार में मिलने वाले पक्के और रसायन रहित रंग त्वचा और आंखों के लिए घातक हो सकते हैं। प्राकृतिक गुलाल या पुष्प होली लगाने का प्रयास करें। नशीली दवाओं से दूरी: यह अक्सर देखा जाता है कि युवा लोग होली के नाम पर नशे का सेवन करते हैं और फिर सड़कों पर भागते हैं। यह न केवल एक कानूनी अपराध है, बल्कि जानलेवा दुर्घटनाओं का कारण भी बनता है। जल संरक्षण: जल का दुरुपयोग रोका जाना चाहिए। शुष्क होली खेलना पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सड़कों पर सभ्य व्यवहार होली के दिन तेज गति से बाइक चलाना, ऊंची आवाज में पटाखे बजाना या रास्ते पर गुब्बारे फेंकना बिल्कुल गलत है। आपका एक मिनट का 'मस्ती' किसी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। ₹उत्सव वह है जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाता है, न कि वह जो किसी के दिल में भय पैदा करता है।₹

होली रंगों, खुशी और भाईचारे का उत्सव है। यह त्यौहार वसंत के आगमन, नए जीवन और मानव संबंधों की मिठास का प्रतीक है। होली सिर्फ रंगों से खेलने का दिन नहीं है, बल्कि दिलों के गले मिटाकर प्रेम और समुदाय को मजबूत करने का संदेश देता है। लेकिन दुख की बात है कि कई स्थानों पर यह खुशियों का उत्सव हड़बड़ी, जबरदस्ती और असामाजिक व्यवहार के कारण अपनी असली आत्मा खो देता है।

होली का वास्तविक संदेश

होली हमें सिखाती है:

प्रेम और सहनशीलता

मानव समानता

दुश्मन को मिटाना

खुशी साझा करना

रंग एकता का प्रतीक हैं — जैसे अलग-अलग रंग मिलकर सुंदरता पैदा करते हैं, वैसे ही अलग-अलग लोग मिलकर समाज को सुंदर बनाते हैं।

हलचल क्यों गलत है?

कई लोगों ने इस उत्सव का नाम निम्नलिखित रखा है:

बलपूर्वक रंग लगाते हैं

नशे का सहारा लेते हैं

तेज आवाज वाले डीजे और शोर प्रदूषण

पानी का बेतहाशा उपयोग करते हैं

गंदगी और रासायनिक रंग का उपयोग करें

यह व्यवहार त्यौहार की खुशी को खत्म कर देता है और दूसरों के लिए असुविधा और भय का कारण बनता है।

सुरक्षित और धार्मिक होली कैसे मनाएं?

सहमति का सम्मान करें किसी को जबरदस्ती रंग न दें।

प्राकृतिक रंग का उपयोग करें पुष्प या हर्बल रंग त्वचा और पर्यावरण के लिए सुरक्षित होते हैं।

पानी बचाएँ सूखी होली खेलकर पानी का ध्यान रखें।

नशीली दवाओं से दूर रहें नशा अक्सर हिंसक और अनियमित व्यवहार को जन्म देता है।

ध्वनि प्रदूषण से बचें ऊंची आवाज बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों के लिए कष्टदायक होती है।

सफाई का ध्यान रखें उत्सव के बाद आस-पास की सफाई करें।

सामाजिक सद्भाव का उत्सव

होली वह अवसर है जब हम एक-दूसरे को गले लगाते हैं और भूल जाते हैं। यदि उत्सव के दौरान किसी को असुविधा या भय महसूस होता है, तो इसका अर्थ है कि हम उत्सव की वास्तविक भावना को समझने में असफल रहे हैं।

युवाओं की जिम्मेदारी

युवा पीढ़ी समाज की दिशा तय करती है। यदि वे संयम और संस्कार के साथ उत्सव मनाएंगे तो अन्य लोग भी प्रेरित होंगे।

निष्कर्ष

होली खुशी का त्यौहार है, डर और असुविधा पैदा करने का नहीं। आइए इस वर्ष संकल्प लें ₹होली मनाएंगे, लेकिन हलचल नहीं करेंगे; रंगों से दिल गालेंगे, न कि किसी की भावना को ठेस पहुंचेंगे।

सच्ची होली वह है जो चेहरे के साथ-साथ दिलों को भी रंग देती है। निष्कर्ष आइए, इस बार होली को सभ्य तरीके से मनाएं। गाइले-शिक्षा को मिटाकर गले लगें और समाज में समुदाय का रंग फैलाएं। याद रखें, रंगों की खुशबू तभी अच्छी लगती है जब वह मर्मा के दायरे में हों। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस विषय पर स्कूल असेंबली के लिए एक छोटा सा भाषण लिखूं?

विधायकों के टेलीफोन भत्ते: फिजूलखर्ची या जनसंपर्क की अनिवार्यता?

(जब 300–400 रुपये में अनलिमिटेड कॉल और डेटा संभव, तो जनप्रतिनिधियों के लिए इतना बड़ा भत्ता क्यों?)

-डॉ. सत्यवान सौरभ

लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली सुविधाएं हमेशा चर्चा और बहस का विषय रही हैं। वेतन और भत्तों का मूल उद्देश्य यह माना जाता है कि निर्वाचित प्रतिनिधि आर्थिक चिंता से मुक्त होकर जनता की सेवा कर सकें। लेकिन जब इन सुविधाओं का आकार बढ़ता है और उनके उपयोग में पारदर्शिता कम दिखाई देती है, तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठते हैं। हाल ही में बिहार विधानसभा द्वारा विधायकों और विधान पार्षदों के लिए मासिक टेलीफोन भत्ता बढ़ाकर 8300 रुपये करने का निर्णय सामने आया है। इस फैसले की सबसे खास बात यह है कि यह राशि बिना किसी बिल या वाउचर के दी जाएगी। यानी खर्च का प्रमाण देना अनिवार्य नहीं होगा। यही कारण है कि यह विषय अचानक सार्वजनिक चर्चा का केंद्र बन गया है।

आज का भारत डिजिटल क्रांति के दौर से गुजर रहा है। मोबाइल फोन और इंटरनेट ने संचार के स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया है। कुछ साल पहले तक कॉल दरें और डेटा पैक महंगे हुआ करते थे, लेकिन अब निजी टेलीकॉम कंपनियों के कारण संचार सेवाएं काफी सस्ती हो चुकी हैं। आम नागरिक 300 से 400 रुपये के मासिक रिचार्ज में अनलिमिटेड कॉल, डेटा और संदेश की सुविधा प्राप्त कर लेता है। ऐसे समय में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब देश का आम व्यक्ति इतनी कम राशि में अपना संचार चला सकता है, तो जनप्रतिनिधियों के लिए हजारों रुपये का अलग भत्ता क्यों आवश्यक है।

बिहार के इस निर्णय ने एक व्यापक बहस को जन्म दिया है। राज्य में कुल 243 विधायक हैं। यदि हर विधायक को प्रति माह 8300 रुपये का टेलीफोन भत्ता दिया जाता है, तो सालाना यह राशि करोड़ों रुपये तक पहुंच जाती है। आलोचकों का कहना है कि यह पैसा सार्वजनिक धन है और इसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास या अन्य जरूरी क्षेत्रों में भी लगाया जा सकता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कई लोग इसे अनावश्यक खर्च या राजनीतिक विशेषाधिकार के रूप में देख रहे हैं।

हालांकि इस विषय का दूसरा पक्ष भी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जनप्रतिनिधियों का काम केवल विधानसभा तक सीमित नहीं होता। उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता से लगातार संपर्क बनाए रखना पड़ता है। नागरिकों की समस्याएं सुनना, अधिकारियों से बातचीत करना, सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लेना—इन सबके लिए निरंतर संचार जरूरी होता है। कई बार एक विधायक को दिन भर में सैकड़ों फोन कॉल करने या प्राप्त करने पड़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या के कारण अलग-अलग कंपनियों के सिम कार्ड भी रखने पड़ते हैं। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन बैठकें और सोशल मीडिया के माध्यम से संवाद भी अब जनप्रतिनिधियों के काम का हिस्सा बन चुके हैं।

फिर भी बहस का असली मुद्दा केवल राशि नहीं, बल्कि पारदर्शिता है। यदि किसी भत्ते का उपयोग स्पष्ट रूप से दर्ज हो और उसका हिसाब सार्वजनिक हो, तो विवाद कम हो जाते हैं। लेकिन जब भत्ता बिना बिल के दिया जाता है, तब यह संदेह पैदा होता है कि कहीं यह सुविधा अतिरिक्त आय का माध्यम तो नहीं बन रही। यही कारण है कि कई विशेषज्ञों का मानना है कि संचार भत्ता दिया जाना गलत नहीं है, लेकिन उसके उपयोग को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना जरूरी है।

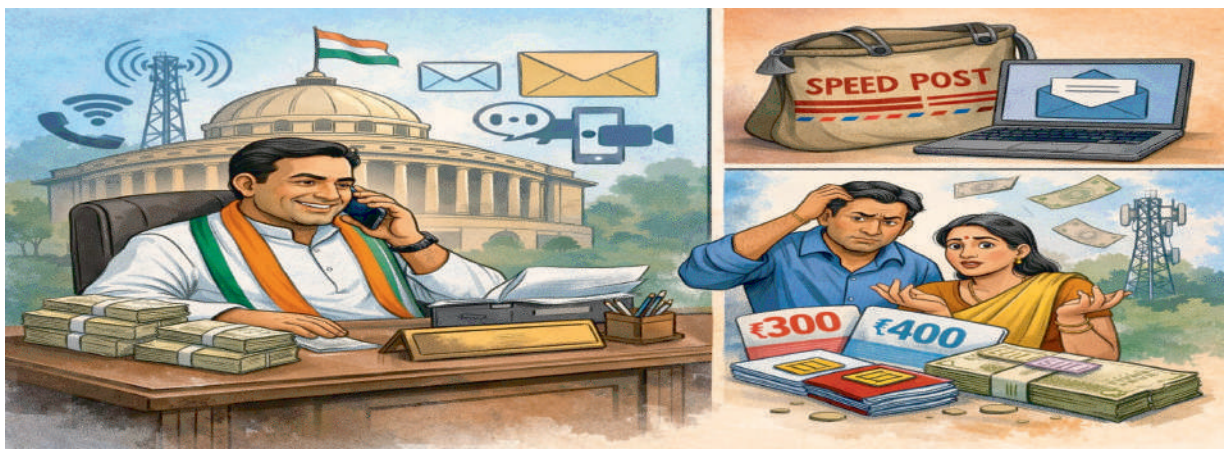

भारत के विभिन्न राज्यों में विधायकों को मिलने वाले टेलीफोन या संचार भत्ते अलग-अलग हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में विधायकों को लगभग 10,000 रुपये तक का संचार भत्ता मिलता है। महाराष्ट्र जैसे बड़े और महंगे राज्य में यह राशि इससे भी अधिक हो सकती है। दूसरी ओर हरियाणा में अपेक्षाकृत कम भत्ता दिया जाता है। केरल ने कोविड महामारी के बाद अपने भत्तों में कटौती कर एक उदाहरण भी पेश किया था। वहीं दिल्ली में संचार और यात्रा भत्ते को मिलाकर दिया जाता है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि राज्यों में कोई समान नीति नहीं है और हर राज्य अपनी परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेता है।

यह भी सच है कि समय के साथ तकनीक ने संचार को आसान और सस्ता बना दिया है। पहले जहां लंबी दूरी की कॉल महंगी होती थी, वहीं आज इंटरनेट आधारित सेवाओं ने संचार की लागत को काफी कम कर दिया है। व्हाट्सएप कॉल, वीडियो मीटिंग और सोशल मीडिया के माध्यम से संवाद अब सामान्य बात हो गई है। इसलिए कई लोग यह सवाल उठाते हैं कि क्या भत्तों की वर्तमान संरचना अभी भी पुराने समय की जरूरतों के आधार पर चल रही है। लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माने जाते हैं। जनता अपने प्रतिनिधियों को इसलिए चुनती है ताकि वे उनकी समस्याओं को समझें और समाधान के लिए काम करें। ऐसे में यदि जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध हो, तो जनता का विश्वास भी मजबूत होता है। लेकिन जब खर्च का विवरण अस्पष्ट होता है, तब आलोचना स्वाभाविक हो जाती है।

विशेषज्ञों का सुझाव है कि इस व्यवस्था को अधिक संतुलित बनाने के लिए कुछ सुधार किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, टेलीफोन भत्ते के लिए बिल या डिजिटल रिकॉर्ड अनिवार्य किया जा सकता है। सरकार चाहें तो आधिकारिक मोबाइल कनेक्शन उपलब्ध करा सकती है, जिससे खर्च सीधे नियंत्रित और मॉनिटर किया जा सके। इसके अलावा भत्ते की एक अधिकतम सीमा तय की जा सकती है ताकि अनावश्यक खर्च से बचा जा सके। समय-समय पर ऑडिट और सार्वजनिक रिपोर्ट भी इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बना सकती है।

यह मुद्दा केवल एक भत्ते का नहीं, बल्कि शासन की सोच का भी है। यदि सरकारें और जनप्रतिनिधि खुद पारदर्शिता को बढ़ावा देंगे, तो जनता का भरोसा भी मजबूत होगा। दूसरी ओर यदि सुविधाएं बढ़ती रहें और जवाबदेही कम होती जाए, तो लोकतंत्र में अविश्वास की भावना पैदा हो सकती है।

अंततः यह समझना जरूरी है कि जनप्रतिनिधियों को संचार के साधन उपलब्ध कराना गलत नहीं है। वास्तव में यह उनकी जिम्मेदारियों को निभाने में मदद करता है। लेकिन इस सुविधा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो व्यावहारिक भी हो और जवाबदेह भी। आज जब देश डिजिटल पारदर्शिता की ओर बढ़ रहा है, तब सरकारी खर्च के हर पहलू को भी उसी दिशा में ले जाना समय की मांग है।

टेलीफोन भत्ते पर उठी यह बहस हमें एक व्यापक प्रश्न की ओर ले जाती है—क्या हमारी राजनीतिक व्यवस्था जनता के प्रति उतनी ही जवाबदेह है जितनी होनी चाहिए? यदि इस बहस से पारदर्शिता और सुधार की दिशा में कदम बढ़ते हैं, तो यह लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत होगा।

(डॉ. सत्यवान सौरभ, पीएचडी (राजनीति विज्ञान), एक कवि और सामाजिक विचारक है।)

लव मैरिज में खटास

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

बालेश्वर/भूबनेश्वर : लव मैरिज में खटास आ गई। दामाद हैवान बन गया। पेट्रोल डालकर पत्नी को मारने की कोशिश करते हुए उसके ससुर की हालत गंभीर हो गई। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ऐसी ही एक घटना 17 तारीख की रात को हुई। खबर के मुताबिक, बालासोर जिले के बलियापाल पुलिस स्टेशन के नारायणपुर गांव के राजेंद्र सामंत्रय ने सात साल पहले अपनी

बेटी की शादी सर इलाके के मंत्री गांव की करुणाकर कवि से की थी। फिर शादी के कुछ साल बाद तक तो उनकी दुनियादारी ठीक रही। लेकिन बाद में अलग-अलग वजहों से दोनों के बीच अनबन और कहासुनी होने लगी और आखिर में मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। करीब एक महीने पहले, पति की प्रताड़ना से तंग आकर बेटी नारायणपुर में अपने पिता के घर भाग गई। 17 तारीख की रात को करुणाकर अपने ससुर के घर पहुंचा, चिल्लाया और गुस्से में आकर अपने साथ लाया पेट्रोल अपनी पत्नी पर फेंक दिया और उसे आग लगाने की कोशिश की, लेकिन ससुर ने उसे रोक लिया। फिर दामाद ने मर्द का भेष बनाकर अपने ससुर को आग लगा दी। चीख-पुकार सुनकर आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे और दामाद को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गंभीर रूप से घायल ससुर को पहले प्रतापपुर ग्रुप हेल्थ सेंटर में भर्ती कराया गया। बाद में हालत बिगड़ने पर उन्हें बालासोर मेन हॉस्पिटल और फिर कटक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। मंगलवार को इलाज के दौरान ससुर राजेंद्र सामंत्रे की मौत हो गई। इस घटना में दामाद पर बलियापाल पुलिस कोर्ट में केस चला है। परिवार की जानकारी के बिना लव मैरिज कितनी खतरनाक हो सकती है, इस बारे में आम चर्चा है।

झारखंड में निकाय चुनाव खत्म होते ही लोहा व्यवसाई के ठिकानों पर जीएसटी छापा

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची , बोकारो जिले के चास स्थित मानसरोवर ब्लॉक डी में लोहा व्यवसायी प्रदीप तलबलिया के आवास पर जीएसटी टीम ने छापेमारी की। यह कार्रवाई टैक्स चोरी की आशंका के तहत की जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई गहन तरीके से की जा रही है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं।

जीएसटी विभाग के आधा दर्जन से अधिक वरिष्ठ अधिकारी सात गाड़ियों में मौके पर पहुंचे। छापेमारी में चास थाना की पुलिस भी सहयोग कर रही है। टीम ने परिसर में आने-जाने वाले लोगों की सघन तलाशी शुरू कर दी है।जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोग और पड़ोसी भी छापेमारी की गतिविधियों को देखकर हैरान हैं। सुरक्षा व्यवस्था के तहत सभी संभावित रास्तों पर निगरानी रखी जा रही है छापेमारी के दौरान व्यवसायी के आवास पर दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। अधिकारियों ने कई महत्वपूर्ण कागजात जब्त किए हैं। प्रदीप तलबलिया से पूछताछ जारी है। उनकी व्यवसायिक गतिविधियों और लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। सूत्रों की माने तो इस छापेमारी में व्यापार से जुड़े किसी भी प्रकार के अनियमित लेन-देन का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल कार्रवाई जारी है।

भर्ती प्रक्रिया या राजस्व का साधन ? युवाओं का बड़ा सवाल

[युवाओं से वसूली, नौकरी में कंजूसी—किसका विकास?]
[परीक्षा शुल्क : व्यवस्था की मजबूरी या युवाओं की मजबूरी?]

प्रो. आरके जैन "अरिजीत"

उम्मीदों के आसमान तले खड़ा भारत आज एक कड़वी हकीकत से जूझ रहा है—युवा शक्ति होने के बावजूद युवा ही सबसे अधिक असुरक्षित और आक्रोशित है। आंखों में सपने, हाथों में डिग्रियां और मन में अटूट विश्वास लिए करोड़ों अभ्यर्थी सरकारी नौकरी को अपने भविष्य की अंतिम सीढ़ी मानते हैं। परंतु जब बेरोज़गारी भयावह रूप ले चुकी हो, तब यह सपना संघर्ष में बदल जाता है। ऐसे निर्णायक समय में आम आदमी पार्टी के नेता, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भर्ती व्यवस्था की उस अनदेखी सच्चाई पर प्रहार किया है, जिस पर अब तक चुप्पी साधी गई थी। उनका सीधा प्रश्न है—जब एक पद के लिए लाखों आवेदन लेकर भारी परीक्षा शुल्क वसूला जाता है, तो असफल अभ्यर्थियों की फीस वापस क्यों नहीं की जाती? यह मुद्दा अब केवल पैसों का नहीं, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी और संवेदनशील शासन का प्रश्न बन गया है।

यह प्रश्न किसी एक दिन की उपज नहीं, बल्कि वर्षों से भीतर ही भीतर धधक रहे युवाओं के आक्रोश की गूंज है। राघव चड्ढा ने उसी दबे दर्द को शब्द दिए हैं। आज देश में स्थिति ऐसी हो गई है कि कई सरकारी भर्तियों में कुछ ही पदों के लिए दस लाख से अधिक आवेदन आना भी सामान्य बात बन चुकी है। हर आवेदन के साथ 500 से 1500 रुपये तक शुल्क लिया जाता है, और जब इन आंकड़ों को जोड़ा जाता है तो एक भर्ती से सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपये प्राप्त होते हैं, जबकि चयनित अभ्यर्थियों की संख्या नगण्य रहती है। बाकी लाखों युवा असफलता का भार लेकर लौटते हैं। वे केवल परीक्षा नहीं हारते, बल्कि अपना समय, धन और आत्मविश्वास भी गंवा बैठते हैं। ऐसे में यह संदेह स्वाभाविक है कि कहीं यह व्यवस्था युवाओं की विवशता को राजस्व के स्रोत में तो नहीं बदल रही।

परीक्षा शुल्क का उद्देश्य आयोजन की लागत—प्रश्नपत्र निर्माण, केंद्र प्रबंधन, पर्यवेक्षक मानदेय और मूल्यांकन—को पूरा करना होना चाहिए। परंतु वास्तविकता में एकत्रित राशि अक्सर इन खर्चों से कहीं अधिक होती है। कई बार परीक्षाएं रद्द होती हैं, पेपर लीक होते हैं या परिणामों में अनावश्यक देरी होती है, फिर भी अभ्यर्थियों को कोई राहत नहीं मिलती। मध्यम और निम्न वर्ग के छात्र परिवार की सीमित आय से यह शुल्क चुकाते हैं, जबकि कोचिंग, पुस्तकें, आवास और यात्रा का अतिरिक्त बोझ अलग होता है। जब अंततः परिणाम निराशा देता है, तो यह केवल एक व्यक्ति की हार नहीं, बल्कि पूरे परिवार की आर्थिक पीड़ा बन जाती है।

जब रोजगार के अवसर सीमित हों, तब संवेदनशील शासन की पहचान उसकी नीतियों से होती है। राघव चड्ढा का स्पष्ट मत है कि यदि सरकार पर्याप्त नौकरियां उपलब्ध नहीं करा पा रही, तो कम से कम परीक्षा शुल्क को न्यूनतम रखा जाए या असफल अभ्यर्थियों को आंशिक रिफंड दिया जाए। उनका तर्क है कि प्रतियोगी परीक्षा सफलता की गारंटी नहीं देती, इसलिए शुल्क को रोजगार का प्रवेश-पत्र मानकर वसूलना न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता। यह विचार सीधे युवाओं की भावनाओं को अभिव्यक्ति देता है। आज लाखों अभ्यर्थी वर्षों तक तैयारी करते हैं, कई बार आयु सीमा भी पार कर जाते हैं और अंततः निराश होकर निजी या अस्थायी कार्य की ओर मुड़ते हैं। उनके लिए परीक्षा शुल्क महज रकम नहीं, बल्कि भविष्य में किया गया निवेश होता है।

निस्संदेह, रिफंड व्यवस्था लागू करना सरल नहीं होगा। प्रशासनिक जटिलताएं, तकनीकी प्रबंधन और बजटीय प्रभाव जैसी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। फिर भी समाधान संभव हैं। शुल्क को प्रतीकात्मक बनाया जा सकता है, एक पंजीकरण से कई परीक्षाओं में भागीदारी की सुविधा दी जा सकती है, या परीक्षा रद्द होने पर स्वतः रिफंड अनिवार्य किया जा सकता है। डिजिटल भुगतान और सत्यापन प्रणालियों के इस दौर में पारदर्शिता सुनिश्चित करना असंभव नहीं है। आवश्यकता केवल स्पष्ट नीति और ठोस इच्छाशक्ति की है, ताकि व्यवस्था अधिक न्यायपूर्ण बन सके।

यह प्रश्न केवल धनराशि का नहीं, बल्कि युवाओं के मनोबल और सामाजिक संतुलन का भी है। वर्षों की तैयारी, परिवार की उम्मीदें और समाज की अपेक्षाएं मिलकर अभ्यर्थियों पर गहरा मानसिक दबाव बनाती हैं। असफलता के बाद अनेक युवा निराशा और अवसाद से जूझते हैं, कुछ चरम कदम भी उठा लेते हैं। जब व्यवस्था उन्हें केवल आंकड़ों में बदल देती है, तो स्वाभाविक रूप से भीतर असंतोष जन्म लेता है। ऐसे समय में यदि सरकार संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाए और शुल्क नीति में सुधार करे, तो यह भरोसा पुनर्स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे युवाओं को महसूस होगा कि उनकी मेहनत और संघर्ष को समझा जा रहा है।

राघव चड्ढा द्वारा उठाया गया यह प्रश्न दलगत राजनीति से आगे बढ़कर सामाजिक चेतावनी का रूप ले चुका है। यह व्यवस्था को संकेत देता है कि केवल घोषणाएं पर्याप्त नहीं, बल्कि ठोस और व्यावहारिक सुधार आवश्यक हैं। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, समयबद्धता और पर्याप्त पद सृजन अनिवार्य हैं। यदि सरकार युवाओं से शुल्क लेती है, तो उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और प्रभावी हो। अन्यथा यही शुल्क अनजाने में अप्रत्यक्ष कर जैसा प्रतीत होने लगता है, जिसका भार उसी संघर्षरत वर्ग पर पड़ता है जो पहले से ही सीमित संसाधनों में भविष्य गढ़ने का प्रयास कर रहा है।

आज आवश्यकता है कि नीति-निर्माता इस उठती आवाज को केवल सुनें ही नहीं, उस पर ठोस निर्णय भी लें। बेरोज़गारी के इस दौर में युवाओं पर आर्थिक बोझ डालना अत्यंत संवेदनशील विषय है। यदि नौकरियां सीमित हैं, तो कम से कम अवसर की लागत अवश्य घटाई जानी चाहिए। परीक्षा शुल्क में सुधार, आंशिक रिफंड या नाममात्र शुल्क जैसी पहलें न केवल आर्थिक राहत देंगी, बल्कि व्यवस्था पर विश्वास भी मजबूत करेंगी। अंततः किसी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके युवा होते हैं। यदि उनके सपनों पर अनावश्यक आर्थिक दबाव डाला जाएगा, तो विकास की गति प्रभावित होगी। इसलिए आवश्यक है कि भर्ती प्रणाली अधिक न्यायपूर्ण, पारदर्शी और मानवीय बने—ताकि हर युवा महसूस कर सके कि व्यवस्था उसके साथ है, उसके खिलाफ नहीं।

यूजीसी के समता विनियम की गंभीर समीक्षा हो

डा.वेदप्रकाश

विगत दिनों आया यूजीसी का समता संवर्धन विनियम गंभीर समीक्षा की मांग करता है क्योंकि जब से यह आया है, तभी से चिंता स्वरूप इसके विरोध और समर्थन का मुद्दा अब राजनीतिक रंग ले रहा है। देश के विभिन्न प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों व अन्य स्थानों पर भी धरने- प्रदर्शन जारी हैं। विगत दिनों विनियम के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे वामपंथी संगठन के छात्रों ने सवाल पूछने पर महिला यूट्यूबर रुचि तिवारी को पीट दिया। हाल ही में जेएनयू में छात्रों के दो ग्रुपों में जमकर झगड़ा हुआ है। एक समाचार यह भी है कि मध्यप्रदेश की छात्रा सोनाली प्रजापति ने मंत्री विजय शाह से यह प्रश्न पूछा कि पढ़ाई में जातिगत भेदभाव क्यों किया जा रहा है? शिक्षा के लिए जातिगत नहीं, आर्थिक आधार पर सरकारी सुविधाएं दी जानी चाहिए क्योंकि हर वर्ग में लोग पिछड़े हैं। क्या उपर्युक्त दोनों समाचार गंभीर नहीं हैं?

ध्यातव्य है कि 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियम 2026 प्रकाशित किया। विनियम के उद्देश्य में लिखा है कि- धर्म, नस्ल, जाति, लिंग,जन्म स्थान या दिव्यंगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेशन को संवर्धन देना है। विनियम के प्रकाशित होते ही इसके देशव्यापी विरोध के समाचार आने लगे। तदुपरांत कहीं-कहीं से समर्थन के समाचार भी आ रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने इस मामले में अभी यथास्थिति का आदेश जारी किया है। यहां प्रश्न यह है कि जब विनियम का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता की बात करता है तो क्या उपर्युक्त वर्णित वर्गों के अतिरिक्त सामान्य वर्ग के छात्र इस हितधारक श्रेणी में नहीं हैं?

ध्यान रहे शिक्षण संस्थान विद्या के मंदिर हैं जहां सभी विद्यार्थी एकता एवं समानता का पाठ पढ़ते हैं। क्या शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को इस प्रकार के घोषित जाति आधारित वर्गीकरण में बांटना उचित है जबकि शिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार की असमानता अथवा भेदभाव के उन्मूलन हेतु पहले से ही प्रावधान हैं। प्रश्न यह भी है कि क्या सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के साथ भेदभाव नहीं होता? यदि होता है तो क्या उनके लिए भी अलग विनियम नहीं होने चाहिए? प्रस्तुत विनियम जिस प्रकार से विभिन्न शब्दों की परिभाषा देता है। समता के संवर्धन का कर्तव्य बताता है। समान अवसर केंद्रों का प्रविधान करता है। समता के संवर्धन हेतु उपाय, घटनाओं के मामले में प्रतिक्रिया, अपील, निगरानी एवं अनुपालन आदि की विस्तृत रूपरेखा बताता है। यह रूपरेखा शिक्षण संस्थानों की सभी के लिए समान की भावना को खंडित करेगी।

संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार के अंतर्गत समता का अधिकार सभी के लिए धर्म,मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करता। क्या शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थी के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव के संबंध में संविधान का यह प्रविधान लागू नहीं होता? यदि हां तो फिर अलग से यूजीसी का यह विनियम क्यों बनाया गया है? क्या यह विनियम इससे जुड़े अधिकारियों की मंशा पर सवाल नहीं उठा रहा है? यूजीसी का यह जिम्मा है कि वह देशभर के उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रयास करे। अधिकाधिक छात्रों को उच्च शिक्षा का अवसर मिले, इसके लिए प्रयास करे। छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की संख्या सुनिश्चित करे। संविधान सम्मत विभिन्न आरक्षित वर्ग के छात्रों के कल्याण हेतु छात्रवृत्तियों आदि का प्रावधान सुनिश्चित करे। आज भी देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में भिन्न-भिन्न रूपों में ढांचागत सुविधाओं का नितांत अभाव है। क्या यूजीसी को उस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अध्याय 6 स्पष्ट करता है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक लगातार नामांकन घट रहा है। नामांकन में यह गिरावट सामाजिक- आर्थिक रूप से वंचित समूहों में अधिक है। क्या आर्थिक रूप से वंचित समूह की श्रेणी में सामान्य जातियों के छात्र नहीं आते? इसी प्रकार नीति का अध्याय 14 उच्च शिक्षा में समता और समावेश शीर्षक से स्पष्ट करता है कि विद्यालयी शिक्षा और उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में समता, समानता और समावेश से जुड़ा दृष्टिकोण एक समान होना चाहिए। क्या यूजीसी द्वारा प्रकाशित यह विनियम सभी की समानता के विरुद्ध नहीं है? नीति में आगे लिखा है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ बने सभी नियमों को शक्ति से लागू करना। क्या इस निर्देश के दायरे में अनुसूचित जाति, जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के छात्र नहीं आते? यदि आते हैं तो फिर यूजीसी का यह नया विनियम क्यों? ध्यातव्य है कि यूजीसी का यह नया विनियम एक प्रकार से संविधान सम्मत अधिकारों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को कमजोर सिद्ध करते हुए वैमनस्य पैदा करने का प्रयास है। आज हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जाति,भाषा अथवा क्षेत्रीयता आधारित भेदभाव भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रकृति नहीं है। यह व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के विकास में बाधक है।

भारतीय ज्ञान परंपरा,संत परंपरा और महापुरुषों का संदेश स्पष्ट है कि जाति के भेदभाव को मिटाकर ही मानवता के कल्याण का रास्ता बनाया जा सकता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत लगातार समरस समाज हेतु जन जागरण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार सबका साथ, सबका विकास हेतु विभिन्न योजनाएं बनाकर पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। फिर अचानक यूजीसी इस प्रकार के मतभेद खड़े करने वाला विनियम लेकर क्यों आया? क्या यूजीसी की यह तत्परता चिंताजनक नहीं है?

US डेलीगेशन ने गंजम जिले का दौरा किया

USFDA टीम ने जिले में झींगा हैचरी और खारे पानी की खेती में अपनाए गए स्टैंडर्ड्स की बहुत तारीफ़ की

मनोरंजन शासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

ब्रह्मपुर/भूबनेश्वर : USFDA के एक डेलीगेशन ने गंजम जिले का दौरा किया और जिले में झींगा हैचरी और खारे पानी की खेती में अपनाए गए स्टैंडर्ड्स को देखा और अपनाए गए ऊंचे स्टैंडर्ड्स की बहुत तारीफ़ की।

डेलीगेशन ने सबसे पहले गोपालपुर में ओशनिड श्रिम्प हैचरी का दौरा किया। इस दौरे के दौरान CAA, MPEDA, फिशरीज़ एंड लाइवस्टॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ओडिशा सरकार के अधिकारी और सब-डिवीज़न लेवल कमेटी (SDLC) के सदस्य मौजूद थे।

USFDA डेलीगेशन ने दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ-साथ फूड हैंडलिंग, प्रोडक्शन और सेल्स से जुड़े रिकॉर्ड्स की अच्छी तरह से जांच की। उन्होंने झींगा प्रोडक्शन सेंटर के अलग-अलग सब-सेंटर्स का दौरा किया और समुद्री पानी निकालने के सिस्टम, UV और ओज़ोन फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस, लेबोरेटरी कल्चर सिस्टम और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में अलग-अलग जानकारी इकट्ठा की। उन्होंने CAA के प्रतिनिधियों और केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ नियमों और कानूनों के पालन, क्लाइमेट और पर्यावरण सुरक्षा सिस्टम और क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड वगैरह पर डिटेल में बातचीत की।

फिर उन्होंने CAA और MPEDA रजिस्टर्ड प्रोड्यूसर प्रियतोष प्रधान के खारे पानी के झींगा फार्मिंग सेंटर की दो हेक्टेयर ज़मीन का दौरा किया। उन्होंने झींगा खरीदने, इनपुट सब्सिडी और रजिस्ट्रेशन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की जांच की और किसानों और डिपार्टमेंट के अधिकारियों से सैंपलिंग, एक्सपोर्ट प्रोसेस और ट्रेसेबिलिटी सिस्टम के बारे में भी जाना।

USFDA डेलीगेशन ने खारे पानी की खेती के प्रस्तावों का रिव्यू करने और कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी को सिफारिशें करने में SDLC की भूमिका पर चर्चा करने के लिए सब-डिविजनल कमेटी के सदस्यों से मुलाकात की।

डेलीगेशन ने पॉलिसी के पालन, ट्रांसपेरेंसी और इंस्टीट्यूशनल प्रोग्रेस पर संतुष्टि जताई और गंजम जिले में खारे पानी की खेती में समय पर हुई प्रोग्रेस की तारीफ की। स्थानीय अधिकारियों को उम्मीद है कि भारत सरकार को USFDA की पॉजिटिव रिपोर्ट जिले में एक्वाकल्चर सेक्टर को और मजबूत करेगी और गंजम के व्यापार और एक्सपोर्ट के मौकों को बढ़ाएगी। भ्रमण के दौरान लिलियन हसू, जैकरी मिलर, एंथनी रिजकोला, करेन स्वजन, पंकजा पांडा, डॉ. शंकर राव, ए. रमेश और ए. आनंद प्रसाद के साथ-साथ डीएफओ, गंजम भारत भूषण साहू, छत्रपुर के डिप्टी कमिश्नर शिवाशीष बराल, गंजम तहसीलदार सुकांत कुमार मिश्रा, एसीएफ, बरहामपुर, जिला कृषि अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

संत गरीब दास जी महाराज के बोध दिवस समारोह की तैयारियां पूरी

26 से 28 फरवरी तक सतलोक आश्रम धुरी और खमाणों में बड़े होंगे समारोह

संगरूर, 25 फरवरी (जगसीर सिंह) - कबीरपंथी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन मार्गदर्शन में, हर साल की तरह इस बार भी महान संत गरीब दास जी महाराज का पवित्र बोध दिवस समारोह 26, 27 और 28 फरवरी को भारत और नेपाल के 13 सतलोक आश्रमों, सतलोक आश्रम धुरी और खमाणों में पूरी श्रद्धा, भक्ति, सादगी के साथ मनाया जा रहा है।

यह पवित्र दिन उस ऐतिहासिक घटना की याद में मनाया जाता है जब पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी सतलोक से सशरीर धरती पर प्रकट हुए और छुड़ानी के खेतों में संत गरीब दास जी महाराज से मिले। इस दौरान संत गरीबदास जी महाराज को नाम उपदेश का अनमोल तोहफ़ा मिला और कबीर साहिब अपनी उस आत्मा को सचखंड सतलोक ले गए और रूहानी ज्ञान के सारे राज़ समझाए। इस रूहानी अनुभव के बाद संत गरीबदास जी महाराज की अमृतमई बानी प्रकट हुई, जिसे बाद में संत गोपाल दास जी ने अमर ग्रंथ साहिब के नाम से लिखा। बोध दिवस समारोह में 26 फरवरी को सभी सतलोक आश्रमों में संत गरीबदास जी महाराज की अमृत बानी के पाठ और प्रकाश के साथ शुरू होगा। इन तीन दिन के धार्मिक समारोहों के दौरान, तत्व ज्ञान पर आधारित सत्संग, रूहानी प्रवचन और अमृत बानी के ज़रिए संगत को रूहानी ज्ञान और भक्ति के सच्चे रास्ते से जोड़ा जाएगा। 27 फरवरी को समाज भलाई के लिए एक खास दिन के तौर पर मनाया जाएगा। इस मौके पर संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सभी सतलोक आश्रमों में एक बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप, दहेज-मुक्त शादी और इंसानियत की सेवा से जुड़े काम किए जाएंगे। ये सभी काम नशा-मुक्त, दहेज-मुक्त, भ्रष्टाचार-मुक्त और नैतिक मूल्यों से भरा समाज बनाने की दिशा में मज़बूत कदम हैं।

28 फरवरी को संत गरीबदास जी महाराज की अमृत बानी का भोग डाला जाएगा और यह तीन दिन का महान धार्मिक कार्यक्रम समाप्त होगा। इस दौरान देश-विदेश से हज़ारों भक्त सतलोक आश्रमों में आकर संत दर्शन और आध्यात्मिक सत्संग का लाभ उठाएंगे। कार्यक्रम के तीन दिनों में भक्तों को शुद्ध देसी घी से बने लड्डू और जलेबियों का अटूट भंडारा चलेगा । आयोजकों और प्रबंधकों ने पूरी संगत से अपील की है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सतलोक आश्रम पहुंचकर संत गरीबदास जी महाराज के पवित्र बोध दिवस के इन महान कार्यक्रमों में हिस्सा लें और अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान की रोशनी लाएं।

बरवाला जिला हिसार में हुआ विराट हिन्दू सम्मेलन

सामाजिक समरसता ही एक सुदृढ़ समाज की रचना करती है :- कृष्ण (विभाग कार्यवाह,हिसार)

हरियाणा/हिसार (राजेश सलूजा) बरवाला नगर की भगत सिंह बस्ती के वार्ड नंबर 19, स्थित न्यू पार्क में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य तौर पर संत अमरदास जी महाराज, सच्चिदानंद जी महाराज,संत प्रहलाद नाथ जी महाराज, संत कमल नाथ जी महाराज, व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हिसार विभाग के कार्यवाह श्रीमान कृष्ण जी का सानिध्य मिला। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर बिन्द्र दनौदा जी (हरियाणवी कलाकार) पहुंचे थे । कार्यक्रम का कुशल संचालन इंद्रजीत शेखावत ने किया ।

कार्यक्रम के आरम्भ में बरवाला नगर परिषद के दो सफाई कर्मचारी द्वारा दीप प्रज्वलित करके माँ भारती को पुष्प अर्पित किये गए।ओर सामाजिक समरसता की मिसाल पेश की उसके बाद कार्यक्रम में आये हुए सन्तों का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया।

कार्यक्रम के आरम्भ में अपने संबोधन में संत अमरदास जी महाराज ने बताया कि हमारे देश में भाषाएं अलग हो सकती है, परंपरा भिन्न हो सकती हैं, पूजा- पद्धतियां और जीवन शैली अलग हो सकती हैं, परंतु मूल सत्य और मानवीय मूल्य एक ही रहते हैं। इसी भावना का व्यापक स्वरूप ही हिंदुत्व है। जो भारत को अपनी मातृभूमि और पितृभूमि मानता है, इसकी संस्कृति, परंपरा, जीवनशैली और मूल्यों का आदर करता है, उसकी पूजा-पद्धति चाहे कोई भी हो, पर उसकी आत्मा हिंदू है। हिंदुत्व हमें सिखाता है कि हम सब एक हैं, हमारी विविधता ही हमारी शक्ति है और हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाये रखने लिए निरंतर कार्य कर रही है। सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून के साथ ही ऑपरेशन कालनेमि के माध्यम से सनातन धर्म को बदनाम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। देश में सबसे पहले यूसीसी लागू कर सभी को समान अधिकार देना हो, मदरसा बोर्ड को खत्म कर सभी संप्रदायों के बच्चों के लिए राज्य में समान शिक्षा व्यवस्था की नींव डालनी हो या फिर राज्य में "हिन्दू स्टडी सेंटर" बनाकर सनातन हिंदू संस्कृति के विभिन्न विषयों में शोध करने वाले युवाओं की सहायता करनी हो, हर क्षेत्र में कार्य किये जा रहे हैं। संत प्रहलाद नाथ जी ने पंच परिवर्तन कुटुम्ब प्रबोधन,स्व का बोध,पर्यावरण संरक्षण,सामाजिक समरसता,नागरिक कर्तव्य पर प्रकाश डाला।

विभाग कार्यवाह श्रीमान कृष्ण जी ने अपने संबोधन में बताया कि यह उनके लिए गर्व का विषय है कि वे विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन से जुड़े हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 100 वर्षों में देश के सांस्कृतिक मूल्यों को पुनर्जीवित कर राष्ट्रभक्ति की भावना को जन-जन के हृदय में सशक्त रूप से स्थापित करने का कार्य भी किया है। शिक्षा, कृषि, ग्राम विकास, समाज कल्याण, महिला सशक्तिकरण, आदिवासी उत्थान, सेवा कार्य, कला और विज्ञान ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जहाँ संघ के स्वयंसेवकों ने निःस्वार्थ भाव से योगदान न दिया हो।

उन्होंने कहा कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहां भाषा, संस्कृति, जाति और क्षेत्र के आधार पर अनेकों भिन्नताएँ हैं। लेकिन इन सबके बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा भेदभाव से ऊपर उठकर भारत की एकात्मता को मजबूत किया है और जन-जन में एक भारत - श्रेष्ठ भारत की भावना जगाई है।

कार्यक्रम में हुए अन्य संतों और अतिथियों ने भी हिंदुओं संस्कृति को बढ़ावा देने, हिंदुओं को हर त्यौहार मनाने व आपसी भाईचारे का संदेश दिया।

कार्यक्रम के बीच में भारती विधा मंदिर स्कूल द्वारा सुंदर झांकियां प्रस्तुत की गई।

कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर बिन्द्र दनौदा ने अपनी गायन की शानदार प्रस्तुति दी और गायन के माध्यम से हिन्दुओ को प्रेरित किया बिन्दर दनौदा की प्रस्तुति पर आये हुए लोग राम व शिव शंकर के भजनों पर नाचने लगे जिसने कार्यक्रम में चार चांद लगाने का काम किया। सम्मेलन में हिंदू एकता का स्वर गूंजा। उन्होंने हिंदू धर्म, संस्कृति और संस्कारों के संरक्षण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने बताया कि हिंदू सनातन के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती और इस तथ्य को पूरा विश्व स्वीकार करता है। उन्होंने कहा कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और यह राम के बिना संभव नहीं है। उनका कहना था कि ईश्वर भी शक्तिशाली और संगठित लोगों की सहायता करते हैं। रंगोली बनाने वाली बहनों को सम्मानित किया गया कार्यक्रम के अंत में सबको हलवे का प्रसाद और दाल रोटी का लंगर खाने को मिला। इस कार्यक्रम में सिंगल यूज प्लास्टिक देखने को भी नहीं मिली जो समाज के लिए बहुत अच्छी पहल थी।

दिल्ली में ट्रैफिक वर्दी के दुरुपयोग का आरोप: अधिकार, पारदर्शिता और सार्वजनिक विश्वास पर उठे सवाल

अधिवक्ता अजय

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में आज सुबह ट्रैफिक प्रवर्तन की पारदर्शिता और वैधता को लेकर एक गंभीर प्रश्न खड़ा हो गया, जब एक व्यक्ति को सार्वजनिक मार्ग पर ट्रैफिक उल्लंघनों की तस्वीरें लेते हुए देखा गया। उक्त व्यक्ति ने स्वयं को Delhi Police द्वारा "डिप्लॉय" बताया, जबकि वह Delhi Traffic Police की आधिकारिक वर्दी जैसी पोशाक पहने हुए था और उसके गले में पहचान पत्र भी प्रदर्शित था।

घटना आज प्रातः लगभग 8 बजे की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, संबंधित व्यक्ति सड़क पर खड़े होकर वाहनों की तस्वीरें ले रहा था, जिन्हें कथित रूप से चालान प्रक्रिया के लिए उपयोग किया जाना था।

हालांकि, इस घटनाक्रम ने कई महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े कर दिए हैं —

क्या संबंधित व्यक्ति विधिवत नियुक्त और अधिकृत अधिकारी था?

यदि हां, तो उसे प्रदत्त अधिकारों की सीमा क्या है?

यदि नहीं, तो क्या यह वर्दी और अधिकार चिह्नों का दुरुपयोग है?

सार्वजनिक चिंता का विषय क्यों बना मामला

पुलिस वर्दी केवल एक परिधान नहीं, बल्कि राज्यसत्ता और विधिक अधिकार का प्रतीक होती है। ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति स्पष्ट और पारदर्शी अधिकार के बिना वर्दी धारण कर सार्वजनिक प्रवर्तन करता दिखाई दे, तो यह संस्थागत विश्वसनीयता पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकता है।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि संबंधित सड़क पर व्यापक स्तर पर विभिन्न प्रकार के यातायात उल्लंघन होते हैं। इसके बावजूद कथित प्रवर्तन कार्रवाई मुख्यतः सामान्य नागरिकों पर केंद्रित दिखाई दी, जो दैनिक गतिविधियों—जैसे बच्चों को स्कूल छोड़ना, दूध या आवश्यक वस्तुएं लेना, अथवा कार्यस्थल की ओर जाना—में संलग्न थे।

यह भी प्रश्न उठाया गया है कि क्या प्रवर्तन का उपयोग समान रूप से और निष्पक्ष ढंग से किया जा रहा है, या फिर विवेकाधिकार का चयनात्मक प्रयोग हो रहा है।

मानसिक दबाव और अधिकार का प्रदर्शन

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आधिकारिक वर्दी, पहचान पत्र और लगातार वाहनों की

तस्वीर लेने की प्रक्रिया ने एक मनोवैज्ञानिक दबाव का वातावरण निर्मित किया। विधिक विशेषज्ञों का मत है कि यदि किसी व्यक्ति को विधिसम्मत अधिकार प्राप्त न हो, तो ऐसा व्यवहार "प्रकट अधिकार" (Apparent Authority) के माध्यम से जनसामान्य पर अनुचित प्रभाव डाल सकता है।

संस्थागत विश्वसनीयता का प्रश्न

कानून प्रवर्तन एजेंसियों की वैधता पारदर्शिता, स्पष्ट अधिकार और विधिक प्रक्रिया के पालन पर आधारित होती है। यदि किसी भी स्तर पर अधिकार की स्थिति अस्पष्ट दिखाई दे, तो इससे आम नागरिकों के बीच भ्रम और अविश्वास उत्पन्न हो सकता है।

इस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में संबंधित पुलिस थाने को औपचारिक रूप से अवगत कराया गया है, और यह अपेक्षा व्यक्त की गई है कि तथ्यों की सत्यता, नियुक्ति स्थिति, प्राधिकरण आदेश तथा अधिकार-सीमा की स्पष्ट जांच की जाएगी।

जनहित में उठाया गया मुद्दा

सूत्रों के अनुसार, यह विषय किसी व्यक्तिगत विवाद का नहीं, बल्कि संस्थागत मर्यादा, संवैधानिक निष्पक्षता और विधि के शासन की रक्षा से जुड़ा हुआ है।

अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि प्रशासन इस मामले में कितनी पारदर्शिता और तत्परता दिखाता है।

डीसीबीएल द्वारा भूमि अधिग्रहण को लेकर तनाव मामले की गंभीरता से जांच हो - डॉ यादव

परिवहन विशेष न्यूज

राजगांगपुरः राजगांगपुर थाना क्षेत्र के लांजीबेरना में मंगलवार को उस समय तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जब डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड ने स्थानीय ग्रामीणों के कड़े विरोध के बीच अपने खनन विस्तार कार्य को फिर से शुरू करने का प्रयास किया।

यह विवाद कंपनी द्वारा डोलोमाइट और चूना पत्थर की खदानों के प्रस्तावित विस्तार से जुड़ा है। कुछ दिन पहले भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद कार्य रोक दिया गया था। हालांकि आज सुबह कंपनी प्रबंधन ने पुलिस बल की मौजूदगी में दोबारा काम शुरू कर दिया, जिससे क्षेत्र में फिर से तनाव बढ़ गया।

ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कंपनी को काम आगे बढ़ाने से रोक दिया। प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से वार्ता कर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं।

सामाजिक कार्यकर्ता आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर राजकुमार यादव ने मामले की गंभीरता को उजागर करते हुए डालमिया भारत सीमेंट लिमिटेड द्वारा की जा रही इस भूमि अधिग्रहण व खनन संप्रसारण को लेकर उचित जांच व कड़ी कार्रवाई की मांग की है व कहा की उद्योग चलाना उचित व स्वागतोग्य है किंतु उद्योग की आड़ में जमीनों का साम्राज्य खड़ा करना अनैतिक है इसलिए जरूरी जमीनों की आवश्यकता को देखते हुए प्रशासन द्वारा जांच समिति गठित कर अब तक लिए गए जमीन व उसके प्रयोग की जांच होर

प्रदर्शनकारियों की मांग है कि भूमि अधिग्रहण और खनन विस्तार का कार्य ग्राम सभा की सहमति और विस्तृत चर्चा के बाद ही किया जाए।

ग्रामीणों का आरोप है कि खनन विस्तार के लिए करीब 263 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है, जिससे लगभग 450 परिवार प्रभावित हुए हैं। इससे पहले कंपनी ने कथित तौर पर 37 एकड़ जमीन पर कब्जा कर पुलिस सुरक्षा में खुदाई कार्य शुरू किया था। स्थानीय लोगों के तीव्र विरोध के बाद कार्य रोक दिया गया। पुलिस बल हटने के बाद ग्रामीणों ने जमीन पर दोबारा कब्जा कर वहां कृषि कार्य शुरू कर दिया था।

अब एक बार फिर पुलिस की मौजूदगी में काम शुरू होने से सैकड़ों ग्रामीण संयंत्र के सामने एकत्र हो गए और अपनी जमीन वापसी व न्याय की मांग को लेकर विरोध तेज कर दिया।

स्थिति को देखते हुए क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

सामाजिक विषमता, जातिगत भेदभाव, ऊंच-नीच, छुआछूत और आरक्षण पर संघ प्रमुख डॉ मोहन भागवत का महत्वपूर्ण ब्यान

परिवहन विशेष न्यूज

हिंदू समाज के एक देशप्रेमी हिस्से ने करीब दो हजार साल तक छुआछूत और भेदभाव सहा, लेकिन फिर भी उसने देश के साथ कभी विश्वासघात व गद्दारी नहीं की।

ऐसे ईमानदार लोगों को बराबरी का हक दिलाने के लिए अगर दो सौ साल तक भी आरक्षण देना पड़े, तो समाज को इसके लिए तैयार रहना चाहिए।

स्वतंत्रता के बाद कई राजनीतिक दल अपने मूल मार्ग से भटक गए - समाज की एकता ही व्यक्तियों और नेतृत्व को शक्ति देती है - ज़ब समाज मजबूत और संगठित होगा तो राष्ट्र की रक्षा भी सशक्त होगी।

समाज कमजोर होगा तो नेतृत्व भी प्रभावी नहीं रह सकता - सामाजिक शक्ति ही व्यक्तियों और नेतृत्व को बल देती है, यदि समाज में भेदभाव, ऊंच-नीच, छुआछूत और विभाजन रहेगा तो राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर होगी।

अगर अपने ही भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ नुकसान भी सहना पड़े, तो भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक डॉ मोहन भागवत का सामाजिक विषमता, भेदभाव, ऊंच-नीच, छुआछूत और आरक्षण को लेकर राष्ट्रहित में एक बार फिर एक कार्यक्रम में स्पष्ट और महत्वपूर्ण बयान दिया है। उनके बयान ने देश को बाँटने वाली राजनीति में हलचल तेज हो गयी है, इस बार डॉ. भागवत ने पिछड़ा, दलितों और आदिवासियों के पक्ष में महत्वपूर्ण बयान दिया। उनके इस बयान को वर्तमान राजनीतिक परिपेक्ष्य में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

आरक्षण 200 साल भी देना पड़े तो सहीः भागवत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू समाज के एक देशप्रेमी हिस्से ने करीब दो हजार साल तक छुआछूत और भेदभाव सहा, लेकिन फिर भी उसने देश के साथ कभी विश्वासघात व गद्दारी नहीं की। ऐसे ईमानदार लोगों को बराबरी का हक दिलाने के लिए अगर दो सौ साल तक भी आरक्षण देना पड़े, तो समाज को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद कई राजनीतिक दल अपने मूल मार्ग से भटक गए।

उन्होंने कहा कि समाज की एकता ही व्यक्तियों और नेतृत्व को शक्ति देती है। ज़ब समाज मजबूत और संगठित होगा तो राष्ट्र की रक्षा भी सशक्त होगी। समाज कमजोर होगा तो नेतृत्व भी प्रभावी नहीं रह सकता, सामाजिक शक्ति ही व्यक्तियों और नेतृत्व को बल देती है, यदि समाज में भेदभाव, ऊंच-नीच छुआछूत और विभाजन रहेगा तो राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर होगी। अगर अपने ही भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ नुकसान भी सहना पड़े, तो भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि भारत में रहने वाले सभी लोगों के पूर्वज एक हैं, और उनकी रगों में एक ही खून बहता है। हिंदू बनने के लिए कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, देश के प्रति निष्ठा ही पर्याप्त है और आज जिनका विरोध है, उन्हें भी कल जोड़ना है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मजबूत नेतृत्व, उच्च सैन्य तैयारी और निरंतर प्रशिक्षण अनिवार्य हैं। राष्ट्र के भाग्य निर्माण में समाज की केंद्रीय भूमिका होती है। समाज मजबूत और संगठित होगा तो राष्ट्र की रक्षा भी सशक्त होगी। समाज का सामूहिक सामर्थ्य नागरिकों को बल देता है और नेतृत्व को प्रभावी बनाता है, इसलिए नेतृत्व का चरित्रवान और अनुशासित होना आवश्यक है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर क्रांतिकारी आंदोलनों तक स्वतंत्रता की ज्योति कभी बुझी नहीं। इतिहास से सीख लेना परिपक्व राष्ट्रीय चेतना का लक्षण है।

उन्होंने आखिर में कहा कि समाज में जब तक भेदभाव है, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। जब तक सामाजिक विषमता है, तब तक भेदभाव ऊंच नीच है। शहरों में अलग तरीके से अस्पृश्यता के मामले देखे जाते हैं। गांवों में अलग तरीके से भेदभाव की बात सामने आती है। स्वतंत्रता, समानता और न्याय का सभी को अधिकार है, इस भेदभाव को सामाजिक समरसता से ही समाप्त किया जा सकता है। समाज कमजोर होगा तो नेतृत्व प्रभावी नहीं रह सकता। सामाजिक शक्ति ही व्यक्तियों और नेतृत्व को बल देती है, यदि समाज में भेद्भाव और विभाजन रहेगा तो राष्ट्र की शक्ति कमजोर होगी। समाज मजबूत और संगठित होगा तो राष्ट्र की रक्षा भी सशक्त होगी।

हेमंत सोरेन के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

राची, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुनवाई पर रोक लगा दी। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने सोरेन की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया। याचिका में सोरेन ने मामले को रद्द करने का अनुरोध किया था।

शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी याचिका में सोरेन ने ईडी द्वारा उन्हें बार बार समन जारी किए जाने को भी चुनौती दी थी। सोरेन ने अपनी याचिका में झारखंड उच्च न्यायालय के हालिया फैसले को चुनौती दी है जिसमें उनके खिलाफ मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।

ईडी द्वारा दायर एक मामले में एक विशेष सांसद-विधायक अदालत द्वारा सोरेन के खिलाफ संज्ञान लिया था। शीर्ष अदालत ने 15 जनवरी को इसे रद्द करने से इनकार कर दिया जिससे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को झटका लगा। जमीन घोटाले में कथित संलिप्तता से जुड़े मामले में जारी समन के बावजूद ईडी के समक्ष पेश नहीं होने के कारण जांच एजेंसी ने सोरेन के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ED का आरोप है कि उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल कर जमीन के प्लॉट्स कब्जाए। इसी को लेकर हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी से पहले ईडी ने पूछताछ के लिए कई बार समन भेजे थे। इसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। फिर हेमंत सोरेन को 149 दिन तक जेल में रहना पड़ा था। ईडी ती चार्जशीट के अनुसार हड़पी गई जमीन सेना और आदिवासियों की थी। फर्जी दस्तावेजों के दम पर सेना की जमीन बेचने के मामले में रांची नगर निगम ने प्राथमिक दर्ज कराई थी।

पीडीजे उमाशंकर सिंह की अदालत ने ब्राउन शुगर कारोबारी को सुनाई सात साल की सजा

मादक पदार्थ कारोबार का गढ़ बन रहा आदित्यपुर तथा सरायकेला में फैसले का स्वागत

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड ऊ

रांची ,सरायकेला-खरसावां जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामशंकर सिंह की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी मो. शमीम को दोषी करार दिया है. अदालत ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(बी) के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को 4 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.

मामले के अनुसार, 9 जुलाई 2021 को आदित्यपुर थाना में आरोपी मो. शमीम के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी आदित्यपुर थाना में पदस्थापित तत्कालीन पुलिस पदाधिकारी सागरलाल महथा के लिखित आवेदन पर दर्ज हुई थी. आवेदन में बताया गया था कि 9 जुलाई को पुलिस सशस्त्र बल के साथ दोपहर करीब 3:30 बजे गश्ती पर निकली थी.

शाम करीब 4:10 बजे आदित्यपुर के इमली चौक स्थित लवेला होटल के पास एक युवक पुलिस को देखकर भागने लगा. संदेह के आधार पर पुलिस ने युवक को दौड़ाकर पकड़

लिया और तलाशी ली. तलाशी के दौरान युवक के पास से 101 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद की गयी. पूछताछ में युवक ने अपना नाम मो. शमीम बताया. उसने स्वयं को सरायकेला थाना क्षेत्र के मुड़िया गांव का निवासी बताया, जबकि अपने स्थायी पते के रूप में बिहार के वैशाली जिले का रहने वाला बताया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आदित्यपुर थाना में उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया. अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई. इस फैसले को लेकर बुद्धिजीवियों ने सरायकेला कोर्ट का स्वागत किया है विशेष कर जिला सत्र न्यायाधीस का .कारण आदित्यपुर क्षेत्र एवं बंगाल , ओड़िआ सीमावर्ती इलाका देश में इन दिनों चर्च का विषय बने हुए है, दिन प्रतिदिन बढ़ती नशे की व्यापार के कारण।

राष्ट्रपति के आगमन को कोई लेकर आयुक्त एवं डीआईजी ने किया मार्ग व स्थल निरीक्षण

उपायुक्त सत्यार्थी ने दिये अधिकारी व पुलिस को निर्देश

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

जमशेदपुर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के वृहस्पतिवार को प्रस्तावित जमशेदपुर आगमन के मद्देनज़र प्रमंडलीय आयुक्त कोल्हान रविरंजन कुमार विक्रम तथा पुलिस उप महानिरीक्षक अनुरंजन किस्पोटा ने जिला प्रशासन की तैयारियों का जायजा लिया गया। इसी दौरान उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडेय सहित वरीय अधिकारियों ने प्रस्तावित कार्यक्रम स्थलों श्री जगन्नाथ सप्रिचुअल एंड कल्चरल चैरिटेबल सेंटर, कदमा एवं मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज का स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एयरपोर्ट से कदमा एवं बारीडीह अवस्थित कार्यक्रम स्थल तक की सुरक्षा व्यवस्था, परिगमन मार्ग, कार्यक्रम स्थल की संरचना, आगंतुकों समेत सामान्य लोगों के प्रवेश एवं निकास मार्ग, पार्किंग, अग्निशमन व्यवस्था तथा आपातकालीन चिकित्सा सुविधा सहित अन्य व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। साथ ही मौके पर मौजूद सभी संबंधित पदाधिकारियों को सभी तैयारियां निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

कार्यक्रम के सूचारू एवं सुव्यवस्थित आयोजन के संदर्भ में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने प्रशासनिक एवं पुलिस की तैयारियों के बारे में आयुक्त कोल्हान प्रमंडल को अवगत कराया तथा सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक डायवर्जन, वैकल्पिक मार्ग, बैरिकेडिंग एवं बलों की तैनाती की की जानकारी दी। इस दौरान उन्होने बताया सुरक्षा मानकों के अनुरूप कारकेड रिहर्सल संपन्न कराया गया है तथा प्रतिनियुक्त फोर्स तथा मजिस्ट्रेट की संयुक्त ब्रीफ्रिंग कर सभी को उनकी जिम्मेवारियों के बारे में अवगत कराया जा चुका है। पिछले दो दिनों से एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक वीआईपी मूवमेंट की समयबद्धता एवं सुरक्षा व्यवस्था का परीक्षण किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि राष्ट्रपति के आगमन को पूर्णतः सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं गरिमामय बनाने हेतु सभी विभाग समन्वित रूप से कार्य कर रहे हैं तथा तैयारियां पूर्ण कर ली गई है।

संस्था अखण्ड संडे की स्थापना दिवस पर पांच किताबों का विमोचन हुआ

परिवहन विशेष न्यूज

इन्दौर संस्था अखंड संडे की स्थापना दिवस पर आयोजित सम्मान समारोह का कार्यक्रम श्री मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति सभागार इन्दौर में देश के नामचीन साहित्यकारों व कविओं का समागम हुआ। जिसमें वरिष्ठ कवि रामवल्लभ गुप्ता की किताब महक कस्तूरी काव्य संग्रह, व्रजेंद्र नागर की राम वनवास क्यों? आलेख संग्रह, रंजनलाल वेफिक्र की कारवां ए अल्फ़ाज़ ग़ज़ल संग्रह, आशा जाकड की सपनों का आकाश कविता संग्रह अमिता मराठे की नीहू की दुनिया बाल कहानी संग्रह सहित पांच पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। इसके साथ ही पंद्रह विशिष्ट सम्मान प्रदान किए गए, पांच सदस्यों में सीताराम कुमावत,नयन राठी,बीके शर्मा, दिनेश शर्मा,रामवल्लभ गुप्ता,को गोलोकवासी मृदंग नेमा सम्मान प्रदान किया गया।

स्वतंत्र पत्रकार व लेखक हरिहर सिंह चौहान इन्दौर द्वारा

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023